रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 14/4/99 GOVT. OF INDIA भारत सरकार

सं० 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5, 1998 (अग्रहायण 14, 1920)
No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1998 (AGRAHAYANA 14, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

(भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

प्रधान कार्यालय : तिरुवनन्तपुरम

यह सूचित किया जाता है कि श्री जैकब चेरियान एवं श्री डी. एन. मोहनकुमारन जो कि भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंकों) अधिनियम 1959 की धारा 25 (1) सी के तहत बैंक के निदेशक हैं, का कार्यकाल दिनांक 28 जनवरी 1999 को समाप्त हो जाएगा। अतः अगले तीन (3) वर्षों हेतु इन रिक्तियों को भरना आवश्यक हो गया है। तदनुसार, उक्त शेयरधारकों से नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 27 के तहत अयोग्य न हों। उक्त नामांकन जो सभी प्रकार से पूर्ण हों, बैंक के प्रधान कार्यालय, पूजप्पुरा, तिरुवनन्तपुरम-695 012 में दिनांक 13 जनवरी, 1999 तक या उससे पूर्व अवश्य पहुंच जायें। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले नामांकन वैध नहीं माने जाएंगे।

आगे यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त उद्देश्य हेतु स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शेयरधारकों की एक सामान्य बैठक टैगोर सेन्टनरी हाल, वषुतक्काड, तिरुवनन्तपुरम-695014 (स्थान) में दिनांक 30 जनवरी 1999 को पूर्वाह्न 11 बजे (मानक समय) आयोजित की जाएगी।

तिरुवनन्तपुरम
दिनांक 23 नवम्बर, 1998

प्रबन्ध निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्तूबर 1998

सं. यू-16 (53)1/94-चि. 2 (केरल)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1950 के विनियम-105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा. ए. के. सभा रहमान को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्य ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, को केरल क्षेत्र में कोझिकोड एवं कन्नूर जिले के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा. (श्रीमती) एस. सिंह
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1998

सं. यू-16/53/97-चि. 2 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा वापी व अंकलेश्वर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. आर. बी. व्यास की सेवाएं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं।

डा. (श्रीमती) एस. सिंह
चिकित्सा आयुक्त

सं. यू-16/53/27-चि. 2 (गुजरात)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम-105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 25-4-1951 की बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा अंकलेश्वर केन्द्र व क्षेत्रीय उप चिकित्सा आयुक्त (उत्तर-पश्चिम जोन) द्वारा नियत किए गए क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच करने और मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें और प्रमाण पत्र प्रदान करने के प्रयोजन के लिए मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए डा. एम. के. मजूमदार की सेवाएं 22-9-98 से 21-9-99 तक या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाती हूं।

डा. (श्रीमती) एस. सिंह
चिकित्सा आयुक्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केन्द्रीय कार्यालय)

14, भविष्य निधि भवन, भीकाजी कामा प्लेस

नई दिल्ली-110066, दिनांक 9 नवम्बर 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2555—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं। (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची–I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	छूट प्राप्ति की तिथि	के०भ०नि०आ०की फा० सं०
1.	मै० डि० के० डिस्ट्रीक कोप० मिल्क प्रोडूसर्स यूनियन, पो० ओ० कुलासेकर कुलासेकर, मेंगलोर–575005	के०एन०/4137	1–8–92 31–7–95 1–8–95 से 31–7–98	6/44/डी०एल०आई०/97
2.	मै० बिल्ज गुम्भा ट्रस्स (प्रा०) लि० नं० 5 बी/6ए, इन्डस्ट्रीयल एरिया, दावदाबल्लापुर मेंगलोर–561203	के०एन०/18595	1–8–95 से 31–7–98	6/48/डी०एल०आई०/97
3.	मै० इनफैन्ट्री कम्प्रेशर्स एण्ड मशीनरी प्रा० लि० ए4, ज्योति काम्पलैक्स, 134/1, इन्फैंट्री मार्ग, मंगलोर–560001	के०एन०/18016	1–5–95 31–4–98	6/47/डी०एल०आई०/97
4.	मै० सिन्धु कार्मो सर्विसेस प्रा० लि०, दूसरी मंजिल, एप०बी०आई० बिल्डिंग एयरपोर्ट एक्साइट रोड, बेंगलोर–560617 ।	के०एन०/18357	1–8–95 31–7–98	6/48/डी०एल०आई०/97
5.	मै० ताजिना डिजाइन पनिंग सेन्टर प्रा० लि०, 482–II मेन, II स्टेज, इन्दिरा नगर, बेंगलोर-560038 ।	के०एन०/16611	1–3–95 28 2–98	6/49/डी०एल०आई०/97
6.	मै० ए० एम० पी० इंडिया प्रा० लि०, मारूति इन्डस्ट्रीयल स्टेट, होडी राजापलायन वाईटफिल्ड मेन मार्ग, महादेवपुरा पोस्ट, बेंगलोर–560048 ।	के०एन०/18158	1–6–95 31- 5–98	6/51/डी०एल०आई०/97
7.	मै० माक्रो एजेन्सीस, नं० 482, II फ्लोर, II मेन आफ० इन्द्रा नगर,–II स्टेज, बेंगलोर–560035 ।	के०एन०/16501	1–3–95 28 2–98	6/52/डी०एल०आई०/97
8.	मै० किलोस्कर मल्टी मिडिया लि०, 65, रेलवे परेलर मार्ग, कुमारा पार्क वैस्ट, बेंगलोर–560020 ।	के०एन०/16252	1–3–95 28–2–98	6/4/डी०एल०आई०/98
9.	मै० विप्रटैक यूनिट–2 नं० 6, बेंगलोर कोप० इन्डस्ट्रीयल स्टेट, ओकालीपुरम, बेंगलोर–560021 ।	के०एन०/16011	1–4–95 31–3–98	6/3/डी०एल०आई०/98
10.	मै० मणिपाल हैंडलूम इंडस्ट्रीज 576113 उडपी, टीसरू डी० के० ।	के०एन०/12184	1–4–93 31- 3–98	6/2/डी०एल०आई०/98
11.	मै० एम० एस० रमैया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी गोकुला एक्सटेंशन पोस्ट मेंगलोर–560054 ।	के०एन०/8146	1–10–94 30–9–97	6/1/डी०एल०आई०/98
12.	मै० डिवान्या मस्ताना लि०, नेयादी इन्डस्ट्रीयल स्टेट, मेंगलोर–575008 ।	के०एन०/12799	11–4–97 31–3–2000	6/33/डी०एल०आई०/97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसा विवरणिया भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ घटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिस स्थापना पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द हो जा सकेगा है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभ के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग.-1/2571—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	छूट प्राप्त की तिथि	के०भ०नि०आ० फाईल सं०
1.	मै० एस० एम० गो० एस० कन्सलटेंटस, आर्चीटेक्टस एण्ड इंजीनियर्स, भोलानाथ साराभाई बिल्डिंग, खामसा गेट, अहमदाबाद—1।	गुज०/16952	1—6—89 से 31—5—92 1—6—92 से 31—5—95 1—6—95 से 31—5—98	4/21/97/डी०एल०आई०
2.	मै० वर्धमान फैबरिक्स प्रा० लि०, प्लाट नं० 2411, जी०आई०डी०सी० सचिन जिला सूरत।	गुज०/17986	1—6—95 से 31—5—98	4/35/97/डी०एल०आई०
3.	मै० ओरायक फैब्रिक्स लि०, 850/3, जी०आई०डी०सी० इन्ड० एस्टेट, मकरपुरा, बड़ौदा—10।	गुज०/20826	1—8—96 से 31—7—99	4/98/97/डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निदेश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2578—जबकि अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त स्थापना' कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 59 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्राप्ति की तिथि	के० भ० नि० आ० की फा० सं०
1.	मै० इण्डो ब्लेजर्स कास्टिंगस लि०, ई०एल०-22, जे ब्लाक, एम०आई०डी०सी०, भोसारी, पुणे-411026।	एम०एच०/पी०एन०/ 32076	1-11-97 31-10-2000	9/17/डी०एल०आई०/एम०एच०/ 98
2.	मै० ज्वोरी इन्जीनियरिंग सर्विस, 27, सनकोले इन्डस्ट्रीयल स्टेट, ज्वारी नगर, गोवा-403726।	गोवा/10077	1-3-97 29-2-2000	9/11/डी०एल०आई०/98
3.	मै० एग्रो केम इन्डस्ट्रीयल सर्विसेज, डी० 4, 4वी, मंजिल कामर्स सैन्टर, वास्को डे गामा, गोवा-403802।	गोवा/10078	1-3-97 29-2-2000	9/15/डी०एल०आई०/98
4.	मै० परफेक्ट एण्ड इंजीनियरिंग कं०, डी 4, 4वीं मंजिल, कामर्स सैन्टर, वास्को-डे-गामा, गोवा-403802।	गोवा/10338	1-3-97 29-2-2000	9/15/डी०एल०आई०/98
5.	मै० वैस्टर्न हैवरिंग लि०, सह० नं० 77, प्लाट नं० डी-1, एण्ड डी-2, चिचोली, एम०आई०डी०सी० सोलापुर-413006।	पी० एम०एच०/पी०एन०/ 31608	1-1-97 31-12-2000	9/14/डी०एल०आई०/98

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3—क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किया जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/89/2587—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची 1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

क्र० स०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० वह दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार तिथि	के०भ०नि०आ० की फा० सं०
1.	मै० दि कलकत्ता मैडीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 7/2, डायमंडहरबल मार्ग कलकत्ता–700027 तथा शाखा।	डब्ल्यू बी/ 15009	2/1959/डी० एल०आई०/छूट 89/फा–1, दि० 19–10–95	12–4–97	13–4–97से 12–4–2000	2/345/डी०एल० आई० डब्ल्यू
2.	मै० ए०बी०सी० कम्पयूटर प्रा० लि०, 43/3, हजरा मार्ग, कलकत्ता–700019 तथा शाखा।	डब्ल्यू बी/ 21683	2/1959/डी० एल आई० छूट/ 89/पा–1 दि०	30–11–96	1–12–96 से 30–11–99	2/4239/डी०एल० आई /डब्ल्यू० बी०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से विविध किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होता जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिस स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/25934—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 18 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड नं०	छूट प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1.	मै० निरूला कोर्नर हाऊप लि०, एल–ब्लाक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली–110001।	डी०एल०/363,	1–10–99 से 30–9–93 1–10–93 से 30–9–96 1–10–96 से 30–9–99	3/20/98/डी०एल०आई०
2.	मै० इम्प्रैशन इन्टरनेशनल ए–234, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–20।	डी०एल०/5525	1–3–89 से 29–2–92 1–3–92 से 28–2–95 1–3–95 से 28–2–98	3/2/98/डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2536—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं और कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ० नि० फा० नं०
1.	मै० एसको इंजीनियरिंग कं०, 18, न्यू कालोनी, मॉडल बस्ती, नई दिल्ली—110001।	डी०एल०/6907	1–9–88 से 31–8–91 1–9–91 से 31–9–94 1–9–94 से 31–8–97	3/7/97/डी०एल०आई०
2.	मै० मकाबरे बीके लि०, एल—8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110016।	डी०एल०/8824	1–8–89 से 31–7–92 1–8–92 से 31–7–95 1–8–95 से 31–7–98	3/1/98
3.	मै० हाऊसिंग एण्ड अर्बन डवलेपमेंट कोर०, हुडको हाऊस लोधी रोड, नई दिल्ली—3।	डी०एल०/6349	1–5–87 से 30–4–90 1–5–90 से 30–4–93 1–5–93 से 30–4–96 1–5–96 से 30–[illegible]–99	3/14/97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के आधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जायें तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 10 नवम्बर 1998

सा. का. 2/1959/डी. एल. आई/भाग-1—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है) जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल नं०
1.	म० भारथी सोप वर्कस, 67/बी–1 अमरावती मार्ग, गोरंटला–522035, जिला गंटूर, आ० प्र० ।	ए०पी० 13922	1–8–95 से 31–7–98	1/20/98/डी० एल० आई०
2.	म० स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लि०, डोर नं० 628 से 629 मुनशीपाल कार्यालय, सरनर नगर, हैदराबाद–500035 ।	ए०पी०–26259	1–3–97 से 29–2–2000	1/21/98
3.	मै० सिबार आटो पार्टस लि०, इण्डस्ट्रीयल स्टेट, रानीगुंटा मार्ग, तिरूपति–517506 ।	एच० वाई०–18114	1–4–96 से 31–3–99	1/12/98
4.	मै० सेरवट फिडस एण्ड माईनर्लस प्रा० लि० डी–142, फेस–III, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जीडीमटेला हैदराबाद–55	ए०पी०एच०वाई०–18953	1–5–97 से 30–4–2000	1/13/98
5.	मै० अशोक लैलेड (डक्टर्न कास्टिंग यूनिट) बी–15, आई० डी० ए० उप्पाल, हैदराबाद 4164 उप्पाल, हैदराबाद–500039 ।	ए०पी०–4164	1–1–89 से 31–12–91 1–1–92 से 31–12–94 1–1–95 से 31–12–97 1–1–98 से 31–12–2000	1/10/98
6.	म० दि नैल्लोर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि०, मुख्य कार्यालय नैल्लोर–524001 ।	ए०पी०–2343	1–7–92 से 30–6–96 1–7–95 से 30–6–98 1–7–98 से 30–6–2001	1/17/96

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बकाया जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि उस राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-4/2616—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी गई है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	अधिसूचना की संख्या और तिथि जिससे छूट प्रदान की गई/बढ़ाई गई	समाप्त होने की की तिथि	छूट प्रदान करने हेतु अवधि	के० भ० नि० आ० फाइल सं०
1.	मै० नित्ति एजुकेशन ट्रस्ट (आर०) 7 बी मंजिल, रामभवम काम्पलैक्स, कोडियालबेला मंगलौर–575003	के० एन०/ 12229	2(1959) डी एल आई०/ पार्ट–1 दिनांक 18–9–97	31–12–96	1–1–97 से 31–12–99	6/15/डी० एल० आई०/96
2.	मै० मलडीवी मोटरस बल-माट्टा रोडमंगलौर–575001	के० एन०/ 3750	2(1959)डी० एल आई०/ पार्ट–1 दिनांक 4–3–97	31–12–96	1–1–97 से 31–12–99	6(32)डी० एल० आई/96
3.	मै० अरविन्द मोटर्स बलमाट्टा रोड मंगलौर–57001	के० एन०/ 2147	2(1959)डी० एल० आई०/ पार्ट–1 दिनांक 4–3–97	31–1–97	1–2–97 से 31–1–2000	6(33)डी० एल०आई०/96
4.	मै० सुप्रीम मोटर्स बलमाट्टा मंगलौर–575001	के० एन/ 6607	2(1959)डी० एल० आई०/ पार्ट–1 दिनांक 4–3–97	31–1–97	1–2–97 से 31–1–2000	6(34)/डी एल०आई०/96
5.	म० इंडो जर्मन प्लांटेशन मशीनरी क० प्रा० लि०–22 ए फस्ट फेस पेनया इंड एरिया बंगलौर–58	के० एन०/ 2458	2(1959) डी० एल० आई/28–2–95 पार्ट–1 दिनांक 27–1–97		1–3–95 से 28–2–98	2(4573)92/डी एल० आई०/96

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एस. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. का. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2625—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है) जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पंजाब ने स्कीम की धारा 18(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची 1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आ० की फा० सं०
1.	म० सूद होटल एण्ड अलाईड इन्टर प्राइसिस प्रा० लि०, माइदीएस्टेट, शिमला–171003	पी० एम०/10994	1–10–89 से 30–9–92 1–10–92 से 30–9–95 1–10–95 से 30–9–98	12/24/96/डी० एल० आई०
2.	मै० हिमाचल टेक्सटाइल लि० भरत गढ़ रोड, नालागढ़ डी/सोलन (हि०प्र०)	पी० एन०/11705	1–2–92 से 31–1–95 1–2–95 से 31–1–98	12/6/98/डी० एल० आई०
3.	मै० सेन्ट फ्रान्सिस कानवेंट स्कल, जी० टी० रोड, करतारपुर।	पी० एल/17144	1–10–96 से 30–9–99	12/40/98/डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के आधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी की विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि में कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम/निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा. का. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2632—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोजकों ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ०
1.	म० दि समाज एण्ड यूनिट्स आफ समाज, दि सत्यावदी प्रैस, दि गोपाबन्धु प्रोसेस एण्ड दि गोपालबन्धु टाइप फाउण्डरी, गोपालबन्धु, भवन कटक—753001.	ओर—17, ओर—17 ए ओर—15 ओर—120	1—3—92 से 28—2—95 1—3—95 से 28—2—98	11/1/98 ओ० आर० डी० एल० आई०
2.	मै० सुबोधम इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बी—19, जगत पुरा इन्डस्ट्रीयल एस्टेट (नया) जगत पुरा कटक—754021.	ओर—4431	1—3—96 से 28—2—99	11/2/98—ओ० आर०

अनुसूची—2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 11 नवम्बर 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-2/2638—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० वह दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार तिथि	के०भ०नि०आ० की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
	खेड़ा					
1	मै० चरोत्तर आयरन फैक्ट्री आनन्द सोजित्रा रोड, आनन्द खेडा (गुजरात)	गुज/159	2/1959/डी एल आई/छूट 89/पा–1 दि० 18–1–94	29–2–96	1–3–96 से 28–2–99	2/4504/92/ डी०एल०आई०
2.	मै० कल्यान इन्डस्ट्रीयल कारपो० कल्पना भूमि एस्टेट दुधेश्वर रोड अहमदाबाद –330004.	गुज/4503	2/1959/डी एल आई/छूट 89/पा–1 दि० 26–5–94	31–3–93	1–4–93 से 31–3–96 1–4–96 से 31–3–99	2/5437/94 डी० एल० आई०
3.	म० वलसाद जिला सहकारी बैंक लि० आजाद चौक वलसाद (गुजरात) (40 ब्रां)	गुज/4662	2/1959 डी एल आई/छूट 89/पा–1 दि० 18–1–94	31–3–96	1–4–96 से 31–3–99	2/4679/92/ डी० एल०आई०
4.	मै० रिलायन्स इन्जीनियरिंग मेन्ट आरगनाइजेशन, 16 महाराष्ट्रा सोसायटी एलिब्रिज अहमदाबाद–380006.	गुज/7265	2/1959/डी एल आई/छूट 89/पा–1दि० 3–4–93	28–2–94	1–3–94 से 28–2–97	2/3322/90/ डी०एल०आई०
				1–3–97 से 29–2–2000		
5.	म० दि गुजरात स्टेट हैन्डीक्राफ्टस डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० ब्लाक 173, फ्लोर उद्योग भवन सेक्टर–2, गांधी नगर–382011 (10 ब्रांचें)	गुज/7283	2/1959/डी एआई/छूट 89/पा–1 दि० 6–4–93	28–2–95	1–3–95 से 28–2–98	2/2506/90/ डी० एल० आई०
6.	मै० सर्लें (इन्डिया) लि० 3102/ए जी०आई०डी०सी० अक्लेश्वर–393002.	गुज/9444	2/1959/डीएल आई/छूट 89 प–1 दि० 2–12–93	31–12–92	1–1–93 से 31–12–95 1–1–96 से 31–12–98	2/4311/92/ डी० एल० आई०
7.	मै० एवरेस्ट कैमिकल्स एण्ड माइनेरल्स प्रा० लि०, प्लाट नं० 203, जी आई डी सी वामी–396195	गुज/9449	2/1959/डी एल आई/छूट 89/पा–1 दि० 18–1–94	29–2–96	1–3–96 से 28–2–99	2/2757/90/ डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि ऐसा कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हों।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उसी सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना, पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमीयम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, तो बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

सं. 2/1959/डी. एल. आई./छूट/89/भाग-2/2649—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अत: उक्त अधिनियम की धारा के उपभाग 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त स्कीम से उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची -I

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट प्राप्ति की तिथि	छूट विस्तार तिथि	के० भ० नि०आ० की फाइल स०
1.	मै० श्री राजकोट लोधिका सहकारी खरीद वंचने संघ लि० सहकर ट्रिवेनी, करन पुरा बस स्टेण्ड के पीछे राजकोट–1	गुज०/5673	2(1959) डी एल आई/छूट/89 पार्ट–1 दि० 6–4–93	30–9–94	1–10–94 30–9–97	2/4506/92/ डी०एल०आई०
2.	मै० ए रहूंडट लोमर (इण्डिया) लि० सर्वे० नं० 320 ओधव रोड अहमदाबाद–382415	गुज०/11087	2(1959) डी०एल० आई०/89/छूटपार्ट–1 दि० 18–1–94	29–2–96	1–3–96 28–2–99	2/2770/90/ डी०एल०आई०
3.	मै० बानसकान्था डिस्ट० को० ओप० मिल्क प्रोडूसर्स यूनियम लि० बानस डयरी पी० बी० नं० 20 पालनपुर 385001 गुजरात	गुज०/3560	2(1959) डी एल आई/89/छूट पार्ट–1 दि० 1–1–94	15–8–94	16–8–94 15–8–97 16–8–97 15–8–2000	2/1725/88/ डी०एल०आई०
4.	मै० वरूना एलोयस प्रा० लि०, ए-1/12 जी० आई० डी० सी० इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेस–2, वटवा, अहमदाबाद–382445	गुज०/5767-ए	एस–35014/38/88 एस एस–11 दि० 27–6–88	26–6–91	27–6–91 26–6–94 27–6–94 26–6–97	2/1756/88/ डी०एल०आई०
5.	मै० रंगसर्जन कैमिकल्स सी० आई० बी० 408, जी० आई० डी० सी० एस्टेट पी० बी० 32, अंकलेश्वर–2 डिस्ट० भरुच	गुज०/9847	2(1959) डी० एल० आई०/89/ छूट पार्ट–1	28–2–95	1–3–95 28–2–98	2/3584/91/ डी०एल०आई०
6.	मै० श्रीरंग कैमिकल्स 124–125 जी०आई० डी० सी० ओधव, अहमदाबाद–382415	गुज०/10806	2(1959) डी० एल० आई०/89/ छूट पार्ट–1 दि० 17–1–94	29–2–96	1–3–96 28–2–99	2/5329/93/ डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम की नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी यावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये बिना किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/98/भाग-2/2659—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रचार/विस्तार की गई	छूट प्राप्ति की तिथि	छूट विस्तार की तिथि	के० भ० नि० आयुक्त की फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० दि० इन्डियन काफी वर्कर्स को० ओप० सोसाईटी लि० 2-यू०बी० भगुंला रोड दिल्ली-110007.	डीएल/ 570	2 (1959) डी०एल० आई०/छूट/89 पार्ट-1/ दि० 17-10-91	31-1-94	1-2-94 31-1-97	2/2087/89/डी०एल० आई०
2.	मै० इन्डिया इंटर नेशनल सेन्टर 40 मुथ्थर मार्ग, नई दिल्ली-110003	डीएल/ 1520	2(1959) डी०एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1 दि० 29-1-96	31-8-97	1-9-97 31-8-2000	2/3421/90/डी० एल० आई०
3.	मै० रामा विजन लि०, 303-305 रतन ज्योति, 18, राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली-110002	डी०एल०/ 12129	2(1959) डी०एल० आई०/छूट/89/पार्ट-1/ दि० 4-2-97	30-11-93	1-12-93 30-11-96	2/2/96 डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब तक वह उक्त स्कीम के अधीन होता हो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम-निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशिती या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 1998

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्ज.म./89/भाग-2/2666—जहां अनुसूची—1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची-1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	सरकारी अधिसूचना की सं० वह दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई	छूट समाप्ति तिथि	छूट विस्तार तिथि	के० भ० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	म० सच्चिदानन्द बिचैम कन्सोवज ब्राण्डर्स लि०, डोलीजवर्म ईस्ट गोदावरी जिला हैदराबाद।	ऐ०पी०/ वी०पी० 4322	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/एस० 35014/61/82 दिनांक 2-4-85	3-8-88	4-8-88 3-8-91 4-8-91 से 3-8-94 4-8-94से 3-8-97	2/655/82/डी० एल० आई०
2.	मै० एस० आर० के० आर० इन्जिनियरिंग कालेज, भीमवारम -534202, वेस्ट गोदावरी जिला आ० प्र०	ऐ०पी०/ वी०पी० 17803	दिनांक 30-9-91	30-11-93	1-12-93 से 30-11-96	2/3803/91
3.	मै० श्री मुल्लापुडी वेंकटेरिया ममोरियल पौलिटैक्निक, पो० बा० नं० 13, निम्मारापूरम टानकु-534211.	ऐ पी०/ वी०पी० 8497	दिनांक 23-1-92	28-2-93	1-3-93से 28-2-96 1-3-96 से 28-2-99	3906
4.	मै० प्रकाशा इंजीनियरिंग वर्क्स, इनीकेपाडू विजयवाडा, कृष्णा जिला-521108	ऐ०पी०/ जी०टी० 6386	दिनांक 3-5-93	31-3-94	1-4-94 से 31-3-97 1-4-97 से 31-3-2000	2/3198
5.	मै० सिफको सनथा नगर, हैदराबाद-18	ऐ०पी०/ 3052	दिनांक 13-8-97	28-2-97	1-3-97 से 29-2-2000	2/3882
6.	मै० कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, एनीकपाडू विजयवाडा-521108	ऐ०पी०/ 3857	दिनांक 2-2-94	31-1-94	1-2-94 31-1-97 1-2-97 से 31-1-2000	2/3191/90
7.	मै० अंजनगा रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड, एच-2, एच-3, अग्रणम इण्डस्ट्रीयल स्टेट, विजयनगरम-531211.	ए०पी०वी० पी० 16320	दिनांक 23-1-92	31-3-92	1-4-92 से 31-3-95 1-4-95 से 31-3-98	2/3904/
8.	मै० ए०जी०आई० ग्लास इन्डस्ट्रीज आफ हिन्दुस्तान सैन्टरी वेयर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०, पोस्ट बा० 1930, सन्ता नगर हैदराबाद-500013.	ऐ०पी०/ वी०पी० 4133	दिनांक 26-12-97	30-11-96	1-12-96 से 30-11-99	2/4207/डी०एल० आई०
9.	मै० दा० इन्डस्ट्रीयल ट्रेडिंग कारपोरेशन, बी-7 इन्डस्ट्रीयल स्टट, नैल्लोर-524004.	ऐ०पी०/ 1350	दिनांक 27-8-97	31-1-97	1-1-97 से 31-1-2000	1/73/97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2—क) के खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक जो उस नियत तारीख के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा. का. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2679—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक स्थापना के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उ. प्र. ने स्कीम की धारा 18 (7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्र०सं०	स्थापना का नाम एवं पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फाइल संख्या
1	2	3	4	5
1.	मै० बसन्त प्रोडक्टस (इंडिया), 26/257-बी, सूलम गंज, आगरा-282004।	यू०पी०/14224	1-3-90 से 28-2-93 1-3-93 से 29-2-96	15(13) डी० एल० आई०/ यू०पी०/96/।
2.	मै० आर० बी० मोटर्स प्रा० लि०, प्रताप पुरा, आगरा-282001।	यू०पी०/3666	1-3-90 से 28-2-93 1-3-93 से 29-2-96	15(4) डी० एल० आई०/ यू०पी०/96
3.	मै० दर्शन आयल्स लिमिटेड, ऊदी सिंह जैन रोड, अलीगढ़-202001।	यू०पी०/14068	1-1-89 से 31-12-91 1-1-91 से 31-12-93 1-1-93 से 31-12-95	15(12) डी० एल० आई०/ यू०पी०/96
4.	मै० यू० पी० स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड, स्पिनिंग मिल्स, जसपुर-244712, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल।	यू०पी०/13727	1-8-89 से 31-7-92 1-8-92 से 31-7-95	15(11)/डी० एल० आई०/ यू०पी०/96
5.	मै० एक्सपर्ट फाउण्डर्स एंड इंजीनियर्स, सी-29, फाउण्डरी नगर, आगरा-282006।	यू०पी०/11760	1-2-89 से 31-1-92 1-2-92 से 31-1-95 1-2-95 से 31-1-98	15(3) डी० एल० आई०/ यू०पी०/96
6.	मै० सेठी मलोत मिल्स प्रा० लि०, धार्गवाम, गोरखपुर (यू० पी०)।	यू०पी०/3734	1-11-89 से 31-10-92 1-11-92 से 31-10-95	15(19) डी० एल० आई०/ यू०पी०/96

1	2	3	4	5
7.	मै० नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वैलड्राफ कम्पाउण्ड, नैनीताल–263 001, तथा इसकी शाखाएं ।	यू०पी०/13537	1–5–90 से 30–4–93 1–5–93 से 30–4–96	15/32/डी० एल० आई०/ यू०पी०/97
8.	मै० टेलिट्रोनिक्स लि०, इंडस्ट्रियल एस्टेट, भीमताल 2631–36, जिला नैनीताल तथा शाखा ।	यू०पी०/6996	1–1–93 से 31–12–95 1–1–96 से 31–12–98	15/31/डी० एल० आई०/ यू०पी०/97
9.	मै० जेबरा जिर्से प्रा० लि०, (बी०एस० नगर) रामनगर मार्ग, काशीपुर, नैनीताल (यू०पी०) ।	यू०पी०/16073	1–12–93 से 30–11–96	15/30/डी० एल० आई०/ यू० पी०/97

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ;

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक धारियों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस के हकदार नाम निर्देशितों/विधिक धारियों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

एच. भट्टाचार्जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. का. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2692—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश ने स्कीम की धारा 1(3) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड नं०	छूट की प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० साइंटीफिक मैस/टेक्निक प्रा० लि०, यूनिट-2, 'बी-14, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, इन्दौर-452003 ।	म०प्र०/6641	1-1-97 से 31-12-99	8/1/98/ई० डी० एल० आई०
2.	मै० जी०डी० केमिकल्स, बिरला ग्राम, ग्राम नागदा (म० प्र०) ।	म०प्र०/8447	1-11-95 से 31-10-98	8/2/98
3.	मै० मिश्रा प्रोडक्ट्स बाई साहब की परेड, लक्ष्मीगंज, ग्वालियर (म० प्र०) ।	म०प्र०/9555	1-4-97 से 31-3-2000	8/4/98
4.	मै० रायस डिस्टलरीज लि०, रायस फार्म, आगरा बाम्बे रोड, ग्वालियर (म० प्र०) ।	म०प्र०/7204	1-3-97 से 29-2-2000	8/5/98

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ दर्शाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों को मिलने सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ उस राशि से कम हो जायें तो उक्त स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जिसे बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. का. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/2700—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा की उप धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुजरात ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

क्रम सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्राप्ति की तिथि	के० भ० नि० आ० की फाइल संख्या
1	2	3	4	6
1.	मै० फरीदाल्प प्रोपेपर्स, गोदाम नं० 1, 131/ई/एफ, गीता टाईल्स के पीछे, ओल्ड बन्दर रोड, भावनगर–364001	गुज/2724	1–7–94 से 30–6–97	4/88/97/डी० एल० आई०
2.	मै० मालवी मैकेनिकल वर्क्स व्यापारी रोड, भावनगर–364001	गुज/4586	1–5–94 से 30–4–97	4/15/97/डी० एल० आई०
3.	मै० श्री हीट ट्रीट इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, ओल्ड जंक्शन रोड, सुरेन्द्र नगर 363001 (गुजरात) इण्डिया	गुज/6450	1–2–90 से 31–1–93 1–2–93 से 31–1–96 1–2–96 से 31–1–99	4/97/97/डी० एल० आई०

1	2	3	4	5
4.	मै० हीना रीडस मैनुफक्चरिंग कं०, एल० 538/5, जी० आई० डी० सी० एस्टेट, ओढव अहमदाबाद	गुज०/15878	1-6-93 से 31-5-96 1-6-96 से 31-5-99	4/23/97/डी० एल० आई०
5.	मै० अजय फाईबर ग्लास प्रा० लि०, अमिक एण्ड० एस्टेट, इण्डियपूप इंजी० लि०, पी० आर० कुबेर नगर, सरदार नगर, अहमदाबाद-382340	गुज०/16060	1-9-89 से 31-8-92 1-9-92 से 31-8-95 1-9-95 से 31-8-98	4/2/98/डी० एल० आई०
6.	मै० गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि० पी० ओ० अम्बुजा नगर तल कोडीनगर-362760 जिला अमेरी 7 शाखाओं सहित	गुज०/17581	1-2-92 से 31-1-95 1-2-95 से 31-1-98	4/87/97/डी० एल० आई०
7.	मै० नेओ सक्रुटो कांस्ट्रकशन प्रा० लि०, कारपोरेट आफिस 301, महाम टेररेस, अडाजन रोड, सूरत-395009	गुज०/18826	1-2-96 से 31-1-99	4/42/97/डी० एल० आई०
8.	मै० मयू० फार्मा, 131/2, जी० आई० डी० सी० इण्डस्ट्रीयल एरिया, वडवा वानकिटी-362030	गुज०/25387	1-8-95 से 31-7-98	4/3/98/डी० एल० आई०
9.	मै० दी साउदर्न गुजरात चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, समृद्धी, चौथी मंजिल, मक्का पुल, नानपुरा, सूरत-395001	गुज०/23417	1-6-95 से 31-5-98	4/32/97/डी० एल० आई०
10.	मै० गुजरात कम्युनीकेशन एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लि०, ए-42, जी० आई० डी० सी० इलैक्ट्रा-निक्स इस्टेट, गांधी नगर-382016	गुज०/6939-ए	1-1-91 से 31-12-93 1-1-94 से 31-12-96 1-1-97 से 31-12-99	4/94/97/डी० एल० आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि उस राशि से कम हो जाए तो उक्त स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आनेवाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत प्राप्त राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. सी. पाण्डे
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई, दिनांक 30 अक्तूबर 1998

सं. यू टी/डीबीडीएम/आर-144/एसपीडी-71-1/98-99—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत निर्मित मासिक आय प्लान 1994 (III) मासिक आय प्लान 1995, मासिक आय प्लान 1995 (II) एवं मासिक आय प्लान 1995 (III) के प्रावधानों में किए गए संशोधन जो क्रमशः कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई मासिक आय योजना 1994 (III), मासिक आय योजना 1995, मासिक आय योजना 1995 (II) एवं मासिक आय योजना 1995 (III) के संबंध में है, और जिसे 24 जुलाई, 1998 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की गोष्ठी में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए. जी. जोशी
मुख्य महाप्रबन्धक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

परिशिष्ट

1. मासिक आय योजना 1994 (III) के प्रावधानों में संशोधन

'निवेश उद्देश्य' से संबंधित खंड VII के उपखंड (ii) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है;

(ii) निधियों का 20% तक इक्विटियों एवं इक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश किया जाएगा।

2. मासिक आय योजना 1995 के प्रावधानों में संशोधन

'निवेश उद्देश्य' से संबंधित खण्ड VII के उपखण्ड (ii) में निम्नलिखित संशोधन किया गया है;

(ii) निधियों का 20% तक इक्विटियों एवं इक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश किया जाएगा।

3. मासिक आय योजना 1995 ( ) के प्रावधानों में संशोधन

'मासिक आय योजना 1995 [(II) एमआईएस 95 (II)] का विवरण जारी' (मुद्रित पेशकश दस्तावेज का पृष्ठ 9 पर)

'निवेश उद्देश्य एवं नीतियां' शीर्षक युक्त खंड VII के उपखंड (ii) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है;

(ii) निधियों का 20% तक इक्विटियों एवं इक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश किया जाएगा।

उपरोक्त के बावजूद सेबी द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का अनुपात बढ़ाया जा सकता है।

4. मासिक आय योजना 1995 (III) के प्रावधानों में संशोधन

'मासिक आय योजना 1995 (III) [एमआईएस 95 (III)] का विवरण जारी' (मुद्रित पेशकश दस्तावेज का पृष्ठ 11 पर) शीर्षक के अंतर्गत।

'निवेश उद्देश्य एवं नीतियां' शीर्षक युक्त खंड VII के उपखंड (ii) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है;

(ii) निधियों का 20% तक इक्विटियों एवं इक्विटी संबद्ध लिखतों में निवेश किया जाएगा।

उपरोक्त के बावजूद सेबी द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का अनुपात बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

दिनांक नवम्बर 1998

सं० भा० आ० प०–12(2)/98–चिक०—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये विनियम "आयुर्विज्ञान संस्थानों में शिक्षकों के लिये न्यूनतम अर्हतायें विनियम, 1998" कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उद्देश्य—स्नातक और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाले आयुर्विज्ञान कालेजों और संस्थानों के विभिन्न विभागों में न्यूनतम अर्हताओं और अनुभव वाले आयुर्विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति, अध्यापन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक अपेक्षाएं हैं।

3. शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं—स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने वाले आयुर्विज्ञान कालेज और संस्थान के विभिन्न विभागों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति करने के लिए न्यूनतम अर्हताएं इन विनियमों के साथ अनुबन्ध अनुसूची I और II में विनिर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

अनुसूची–1

किसी आयुर्विज्ञान कालेज अथवा संस्थान में किसी शिक्षण पद पर नियुक्ति करने से पूर्व प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी निम्नलिखित मानकों का ध्यान रखेगा:—

1. सभी आयुर्विज्ञान शिक्षक, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी भी अनुसूची में शामिल आधारभूत विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष अर्हता धारक होने चाहिएं।

2. शरीर-रचना-विज्ञान, जीवन-रसायन भेषजगुण-विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान विभागों में विभाग के कुल पदों की संख्या के 30% तक गैर-आयुर्विज्ञान शिक्षक नियुक्त किए जा सकते हैं। गैर-आयुर्विज्ञान अनुमोदित, आयुर्विज्ञान विज्ञान निष्णात, अर्हता संबंधित विषय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति के लिए पर्याप्त अर्हता होगी परन्तु उच्चतर शिक्षण पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी के पास, विषय में, विद्या-वाचस्पति की डिग्री होना आवश्यक है। इन विभागों के विभागाध्यक्षों के लिए मान्यताप्राप्त आधारभूत विश्वविद्यालयी आयुर्विज्ञान डिग्री अर्हता अथवा समकक्ष अर्हता होना आवश्यक है। तथापि, जीव–रसायन विभाग में, विभाग में कुल पदों की संख्या के 50% तक पदों पर गैर-आयुर्विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। गैर-क्लीनिकल विभागों में शिक्षकों की कमी के मामले में उक्त नियुक्ति के लिए गैर-क्लीनिकल विशेषज्ञता-विशेष में उपयुक्त आयुर्विज्ञान शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा गैर-आयुर्विज्ञान व्यक्ति को विभागाध्यक्ष के पद तक ढील दी जा सकती है। तथापि, ऐसी ढील भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पूर्व अनुमोदन से ही दी जा सकेगी। किसी गैर-आयुर्विज्ञान व्यक्ति को निदेशक अथवा प्रधानाचार्य अथवा डीन अथवा चिकित्सा अधीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। समुदाय आयुर्विज्ञान और भेषजगुण विज्ञान विभागों में सांख्यिकी और भेषजगुणीय रसायन में व्याख्याता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विषय विशेष में विज्ञान निष्णात अर्हताधारी होने चाहिए।

3. सभी आयुर्विज्ञान कालेजों में अनुशिक्षकों, रेजिडेन्टों, रजिस्ट्रारों और निदर्शकों के अलावा, आयुर्विज्ञान शिक्षक अपने संबंधित विषयों में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हताधारी होने चाहिए।

4. नियुक्तिकर्ता अधिकारी, ऐसे समकक्ष स्नातकोत्तर अर्हताधारकों को, जिसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया गया हो, संबंधित विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त अर्हता होने के रूप में विचार कर सकते हैं।

5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् इन विनियमों में उल्लिखित समकक्ष अर्हता निर्धारित करेगी।

6. किसी आयुर्विज्ञान कालेज अथवा संस्थान में कुल आठ वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले शिक्षक, जिसमें से कम-से-कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त व्याख्याता अथवा सहायक प्रोफेसर के रूप में हो उन्हें व्यापक विशेषताओं में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में मान्यता दी जाएगी। अति-उन्नत विशेषज्ञताओं के मामले में केवल उन शिक्षकों को स्नातकोत्तर शिक्षकों के रूप में मान्यता प्राप्त दी जायेगी जिनके पास आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव हो जिसमें से कम-से-कम पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव उच्चतर विशेषता डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त व्याख्याता अथवा सहायक प्रोफेसर के रूप में प्राप्त किया गया हो।

बशर्ते कि नए संस्थापित किए जा रहे अति-उन्नत विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के मामले में स्नातकोत्तर शिक्षकों की अर्हता और अनुभव में ढील सम्बन्धी मामला नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को भेजा जाए।

7. अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में, नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए मामला भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को भेजा जाए।

8. शिक्षण पदों का नाम, शैक्षिक अर्हताएं और प्रत्येक शिक्षण पद के लिये अपेक्षित शिक्षण अथवा अनुसंधान अनुभव का उल्लेख स्नातक और स्नातकोत्तर उच्चतर विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में तालिका –1 में और अति-उन्नत विशेषज्ञताओं के सम्बन्ध में तालिका–II में किया गया है।

9. सह-प्रोफेसर के पद के लिए चार शोध पत्रों और प्रोफेसर के पद के लिए आठ शोध पत्रों के प्रकाशन की अपेक्षा वांछनीय अर्हता होगी।

तालिका–I

अपेक्षित विशेष शैक्षिक अर्हताएं और शिक्षण/अनुसंधान अनुभव

पद	शैक्षिक अर्हताएं	शिक्षण/अनुसंधान अनुभव
1	2	3
प्रधानाचार्य/डीन/निदेशक चिकित्सा संस्थान	मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हता और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से अन्य शैक्षिक अर्हताओं सहित किसी कालेज में प्रोफेसर/सह-प्रोफेसर/रीडर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव हो जिसमें से न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव किसी विभाग में प्रोफेसर के रूप में हो। इन नियुक्तियों के लिए विभागाध्यक्षों को वरीयता दी जाए।	
निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक, संगठन चिकित्सा अधीक्षक	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हता तथा दस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव।	
	शरीर रचना विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	शल्य विज्ञान निष्णात (शरीर–रचना विज्ञान)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (शरीर–रचना विज्ञान)/ विज्ञान निष्णात (शरीर-रचना विज्ञान) सहित आयुर्विज्ञान तथा शल्य-विज्ञान स्नातक/विद्या वाचस्पति (पी० एच० डी०) आयुर्विज्ञान शरीर-रचना विज्ञान सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान शरीर–रचना विज्ञान)/ विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान शरीर-रचना विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान शरीर-रचना विज्ञान)।	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में शरीर-रचना विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस-राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	–वही–	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में शरीर-रचना विज्ञान में सहायक प्रोफेसर व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता।

1	2	3
		(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निर्देशक अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/ निर्देशक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य-विज्ञान स्नातक/गैर-चिकित्सा व्यक्तियों के लिए विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान शरीर-रचना विज्ञान)	
	शरीर–क्रिया विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (शरीर–क्रिया विज्ञान)/ विज्ञान निष्णात (शरीर–क्रिया विज्ञान) सहित आयुर्विज्ञान तथा शल्य–विज्ञान स्नातक/विद्या वाचस्पति (पी० एच० डी०) (आयुर्विज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान शरीर–क्रिया विज्ञान) विज्ञान/ वाचस्पति (आयुर्विज्ञान शरीर–क्रिया विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान शरीर–क्रिया विज्ञान) ।	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में शरीर–क्रिया विज्ञान में रीडर/सह–प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	–वही–	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में शरीर क्रिया विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव : वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/ निर्देशक/ अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निर्देशक/रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक/गैर-चिकित्सा व्यक्तियों के लिए विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान शरीर क्रिया विज्ञान)	
	जीव-रसायन	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जीव-रसायन)/विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान जीव-रसायन) सहित आयुर्विज्ञान तथा शल्य–विज्ञान स्नातक/विद्या	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में जीव-रसायन में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
		वाचस्पति (आयुर्विज्ञान जीव-रसायन) सहित विज्ञान निष्णात) जीव/ रसायन विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान जीव-रसायन) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान जीव-रसायन)	वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	–वही–	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में जीव रसायन में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिकस/ राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निर्देशक अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक/ गैर-चिकित्सा व्यक्तियों के लिए विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान जीव–रसायन) ।	
		जीव–भौतिकी	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जीव-भौतिकी) / विज्ञा वाचस्पति (जीव-भौतिकी) सहित विज्ञान निष्णाद (जीव–भौतिकी अथवा आयुर्विज्ञान जीव-रसायन) जीव भौतिकी में एक वर्ष के प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (शरीर–क्रिया विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जीव-रसायन)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में जीव भौतिकी में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (1) इन्डेक्स/मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	–वही–	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में जीव भौतिकी में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/ निर्देशक/ अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

1	2	3	4
(घ)	अनुशिक्षक/निदेशक/रेजिडेंट रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक/गैर-चिकित्सा व्यक्तियों के लिए विज्ञान निष्णात (जीव-भौतिकी अथवा आयुर्विज्ञान जीव-रसायन ।	
		भेषजगुण विज्ञान (फार्माकालोजी)	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (भेषजगुण विज्ञान) विद्या वाचस्पति (आयुर्विज्ञान भेषजगुण विज्ञान) सहित आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक/विद्या वाचस्पति (आयुर्विज्ञान भेषजगुण विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान भेषजगुण विज्ञान) / विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान भेषजगुण विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान भेषजगुण विज्ञान) ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में भेषजगुण विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकल/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में भेषजगुण विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकल/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में, रेजिटेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	व्याख्याता, भेषजिक रसायन	विज्ञान निष्णात (भेषजिक रसायन)	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिटेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(ङ)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक/गैर-चिकित्सा व्यक्तियों के लिए विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान भेषजगुण विज्ञान) ।	

1	2	3	4
		विकृति विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकृति विज्ञान)/विद्या वाचस्पति (विकृति विज्ञान)/विज्ञान वाचस्पति (विकृति विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकृति विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मैडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकृति विज्ञान में सहायक प्राफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	अनुशिक्षक/ निदर्शक/ रेजिडेन्ट/ रेजिटेन्ट विकृति विज्ञानी/रजिस्ट्रार/ रोगलक्षण विकृति विज्ञानी	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		सूक्ष्म जीव-विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जीवाणु-विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सूक्ष्म जीव विज्ञान)/(विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान सूक्ष्मजीव विज्ञान) सहित आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक/विद्या वाचस्पति (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/विद्या वाचस्पति (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान जीवाणु विज्ञान)/विद्या वाचस्पति (आयुर्विज्ञान सूक्ष्मजीव विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में सूक्ष्मजीव विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।

1	2	3	4
		सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान सूक्ष्मजीव विज्ञान)/विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान सूक्ष्मजीव विज्ञान) सहित विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान सूक्ष्मजीव विज्ञान)	
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	वही	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में सूक्ष्मजीव विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डैक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	वही	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/क्लीनिकल विकृति विज्ञानी	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक/गैर चिकित्सा व्यक्तियों के लिये विज्ञान निष्णात (आयुर्विज्ञान सूक्ष्मजीव विज्ञान)।	
		समुदाय आयुर्विज्ञान	
(क)	प्रोफसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामाजिक तथा निरोधक आयुर्विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (समुदाय आयुर्विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में समुदाय आयुर्विज्ञान/सामाजिक तथा निरोधक आयुर्विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर सह-प्रोफेसर	वही	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में समुदाय आयुर्विज्ञान/सामाजिक तथा निरोधक आयुर्विज्ञान में सहायक प्रोफसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	वही	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

1	2	3	4
(घ) व्याख्याता, सांख्यिकी		विज्ञान निष्णात (सांख्यिकी)	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(ङ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार/जानपदिक रोग विज्ञानी/ स्वास्थ्य अधिकारी		आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		न्याय वैद्यक आयुर्विज्ञान	
(क) प्रोफेसर		आयुर्विज्ञान वाचस्पति (न्याय वैद्यक आयुर्विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में न्याय वैद्यक आयुर्विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर		वही	(i) मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में न्याय वैद्यक आयुर्विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता		वही	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(च) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार/अत्याहित चिकित्सा अधिकारी/रेजिडेन्ट विकृति विज्ञानी		आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		सामान्य आयुर्विज्ञान	
(क) प्रोफेसर		आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)/ (आयुर्विज्ञान वाचस्पति) (सामान्य आयुर्विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में सामान्य आयुर्विज्ञान/आयुर्विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।

1	2	3	4
	(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामान्य आयुर्विज्ञान)	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में सामान्य आयुर्विज्ञान/आयुर्विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
	(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(I) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (II) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
	(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		सामान्य शल्य विज्ञान	
	(क) प्रोफेसर	शल्य विज्ञान निष्णात (शल्य विज्ञान/शल्य विज्ञान निष्णात (सामान्य शल्य विज्ञान)	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में सामान्य शल्य विज्ञान/शल्य विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
	(ख) रीडर/सह-प्रोफसर	–वही–	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में सामान्य शल्य विज्ञान/शल्य विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
	(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(I) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (II) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
	(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3	4
		प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान	
	(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान)/शल्य विज्ञान निष्णात (प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान)	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डियन मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
	(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
	(ग) सहायक-प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(I) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (II) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
	(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		बाल चिकित्सा विज्ञान	
	(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल चिकित्सा विज्ञान)	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में बाल चिकित्सा विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
	(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में बाल चिकित्सा विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
	(ग) सहायक/प्रोफेसर व्याख्याता	—वही—	(I) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (II) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
	(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3
	यक्ष्मा एवं श्वसन रोग	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (यक्ष्मा)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (यक्ष्मा एवं श्वसन रोग) यक्ष्मा रोग डिप्लोमा (टी०डी०डी०) डिप्लोमा यक्ष्मा–रोग	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालज में यक्ष्मा एवं श्वसन रोग में रीडर/ सह- प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय
	(डी०टी०डी०) अथवा यक्ष्मा एवं वक्षरोग डिप्लोमा (डी० टी० सी० डी०) सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति) (यक्ष्मा एवं वक्ष रोग)।	(ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम–से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह–प्रोफेसर	––वही––	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालज में यक्ष्मा एवं श्वसन रोग में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम–से–कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	––वही––	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/ अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक।	
	मनोविकार चिकित्सा	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (मनोविकार चिकित्सा)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (मनोविज्ञान) संबंधी आयुर्विज्ञान)/मनोविज्ञान संबंधी आयुर्विज्ञान में डिप्लोमा सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में मनोविकार चिकित्सा में रीडर/सह–प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचिबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह–प्रोफेसर	––वही––	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज मे मनोविकार चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	––वही––	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदेशक/ अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षा-अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक।	

टिप्पणी : मनोविकार चिकित्सा में 31 मई, 1997 के पश्चात् की जाने वाली सभी शिक्षण नियुक्तियों के लिए सभी अभ्यर्थी मनोविकार चिकित्सा में आयुर्विज्ञान वाचस्पति के डिग्रीधारक होने चाहिए और उसके बाद मनोविज्ञान संबंधी डिप्लोमा (पाठ्यक्रम की अवधि चाहे जो भी हो) ऐसी नियुक्तियों के पात्र नहीं होंगे ।

बशर्ते कि नियमित शिक्षण पदधारी मौजूदा अध्यापक जिनकी नियुक्ति आरम्भ में 2 वर्ष की अवधि के ममोविज्ञान आयुर्विज्ञान डिप्लोमा के आधार पर की गई थी उनके मामलों में उच्चतर नियुक्तियों के लिए मनोविकार चिकित्सा में आयुर्विज्ञान वाचस्पति की डिग्री होने की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी ।

1	2	3
	त्वचा विज्ञान, रतिज रोग विज्ञान एवं कुष्ठ	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (त्वचा विज्ञान एवं रतिज रोग विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (त्वचा विज्ञान, रतिज रोग विज्ञान एवं कुष्ठ) आयुर्विज्ञान)/वाचस्पति (त्वचा विज्ञान) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (रतिजरोग रोग विज्ञान सहित त्वचा विज्ञान)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (रतिजन रोग विज्ञान/कुष्ठ सहित त्वचा विज्ञान)/रतिजरोग विज्ञान एवं त्वचा विज्ञान डिप्लोमा/त्वचा विज्ञान सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान) ।	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में त्वचा विज्ञान एवं रतिज रोग विज्ञान/कुष्ठ में रीडर/सह–प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (i) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम–से–कम चार शोध प्रकाशन और अन्त र्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह–प्रोफेसर	––वही––	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में त्वचा विज्ञान एवं रतिज रोग विज्ञान/कुष्ठ में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (i) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	––वही––	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार ।	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

*पाद टिप्पणी : जहां रतिजरोग विज्ञान और त्वचा विज्ञान विभाग अलग–अलग हैं वहां रतिजरोग विज्ञान और त्वचा विज्ञान के पृथक विभागों में निम्नलिखित अर्हता अपेक्षित होगी :—

	रतिजरोग विज्ञान के लिए	त्वचा विज्ञान के लिए
	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (रतिजरोग विज्ञान)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (त्वचा विज्ञान और रतिजरोग विज्ञान) रतिजरोग डिप्लोमा सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (त्वचा विज्ञान) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (त्वचा विज्ञान और रतिजरोग विज्ञान) त्वचा विज्ञान डिप्लोमा सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)

1	2	3
	अस्थि–रोग विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	शल्य विज्ञान निष्णात (अस्थिरोग विज्ञान)	(i) किसी मान्यत प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अस्थि रोग विज्ञान में रीडर/सह–प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह–प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अस्थि रोग विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्यात के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	संज्ञाहरण विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (संज्ञाहरण विज्ञान)/शल्य विज्ञान निष्णात (संज्ञाहरण विज्ञान).	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में संज्ञाहरण विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में संज्ञाहरण विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हो ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3
	विकिरण निदान	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकिरण-निदान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकिरण विज्ञान)/शल्य विज्ञान निष्णात (विकिरण विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकिरण निदान/विकिरण विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकिरण निदान/विकिरण विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षक अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	विकिरण-चिकित्सा	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकिरण-चिकित्सा) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकिरण विज्ञान) शल्य विज्ञान निष्णात (विकिरण-विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकिरण चिकित्सा/विकिरण-विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकिरण-चिकित्सा/विकिरण विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

टिप्पणी : जहां कहीं विकिरण विज्ञान संयुक्त विभाग के रूप में है उसे इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष के अन्दर विकिरण-निदान और विकिरण-चिकित्सा विभागों में विभाजित कर दिया जाए ।

1	2	3
	कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	शल्य विज्ञान निष्णात (कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/ सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में कर्ण-नासा-कंठ विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज म, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्श / अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक / निदर्शक/ रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	तांत्रिक विज्ञान	
(2) प्रोफेसर	शल्य विज्ञान निष्णात (नेत्र विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (नेत्र विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में नेत्र विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (2) इन्डेक्स मडिकस/राष्ट्रीय जर्नल म कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/ सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज नेत्र विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (1) इन्डेस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/ अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

1	2	3
(घ) अनुशिक्षक/ निदर्शक/ रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	नाभिकीय आयुर्विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (नाभिकीय आयुर्विज्ञान) किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र में नाभिकीय आयुर्विज्ञान में दो वर्ष के अनुभव के साथ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकिरण-चिकित्सा) विकिरण-चिकित्सा विज्ञान डिप्लोमा (डी० आर० एम०) अथवा नाभिकीय आयुर्विज्ञान डिप्लोमा (डी० एन० एम०) सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र में नाभकीय आ विज्ञान में दो वर्ष के अनुभव के साथ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकिरण-निदान) विकिरण-चिकित्सा विज्ञान डिप्लोमा (डी० आर० एम०) अथवा नाभिकीय आयुर्विज्ञान डिप्लोमा (डी० एन० एम०) के साथ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जीव-भौतिकी) अथवा इसके समकक्ष अर्हता किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र में नाभिकीय आयुर्विज्ञान में दो वर्ष के अनुभव के साथ नाभिकीय आयुर्विज्ञान में डी०एन०बी०	किसी आयुर्विज्ञान कालेज में नाभिकीय आयुर्विज्ञान में रीडर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।
(ख) रीडर	—वही—	किसी आयुर्विज्ञान कालेज में नाभिकीय आयुर्विज्ञान में व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव
(ग) व्याख्याता	—वही—	विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर में अर्हता ।
(घ) अनुशिक्षक/ रजिस्ट्रार/	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	पोषण	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जीव रसायन/ शरीर क्रिया विज्ञान/विकृति विज्ञान/ आयुर्विज्ञान/सामाजिक तथा निरोधक आयुर्विज्ञान/समुदाय/आयुर्विज्ञान अथवा बाल चिकित्सा विज्ञान के साथ अनुप्रयुक्त पोषक में विज्ञान निष्णात अथवा एक वर्ष की अवधि का विशेष प्रशिक्षण	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में पोषण में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकल/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/ सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में पोषण में सहायक प्रोफेसर व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

1	2	3
		वांछनीय (2) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जीव रसायन/शरीर क्रिया विज्ञान/विकृति विज्ञान/आयुर्विज्ञान/ सामाजिक तथा निरोधक आयुर्विज्ञान/समुदाय आयुर्विज्ञान अथवा बाल चिकित्सा विज्ञान के साथ अनुप्रयुक्त पोषक में विज्ञान निष्णात अथवा एक वर्ष की अवधि का विशेष प्रशिक्षण	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/ निदर्शक/ रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनःस्थापन	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनः स्थापन/शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनःस्थापन डिप्लोमा सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)/ शल्य विज्ञान निष्णात (सामान्य शल्य विज्ञान)/शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनः स्थापन (पुनः स्थापन आयुर्विज्ञान) में दो वर्ष के विशेषज्ञता प्रशिक्षण अथवा भारत में किसी अनुमोदित संस्थान में विषय में अनुमोदित दो वर्ष के समकक्ष प्रशिक्षण सहित शल्य विज्ञान निष्णात (अस्थिरोग विज्ञान) ।	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनःस्थापन में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (2) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनःस्थापन में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (1) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	मानव चयापचय	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (अन्तःस्रावि की) अथवा अन्तःस्रावि की में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अन्तःस्रावि की मानव चयापचय में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।

1	2	3
		वांछनीय
		(2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (अन्तःस्रावीकी) अथवा अन्तःस्रावीकी में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अन्तःस्रावीकी/मानव चयापचय में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
		वांछनीय
		(2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता ।
		(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषय में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान एवं रक्ताधान	
(क) प्रोफेसर	डी० एम० (प्रतिरक्षा विज्ञान) अथवा वाचस्पति (प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान एवं रक्ताधान)/प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान एवं रक्ताधान विभाग में दो वर्ष के शिक्षण अनुभव अथवा विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकृति विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा रुधिर विज्ञान ।	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान एवं रक्ताधान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।
		वांछनीय
		(2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	–वही–	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान एवं रक्ताधान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
		वांछनीय
		(2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता ।
		(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेंट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3
	चिकित्सा आनुवंशिकी	
(क) प्रोफेसर	डी० एम (चिकित्सा आनुवंशिकी)/आयु-विज्ञान वाचस्पति (चिकित्सा आनुवंशिकी)/ चिकित्सा आनुवंशिकी में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामान्य आयुर्विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल चिकित्सा विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री-रोग विज्ञान)	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में चिकित्सा आनुवंशिकी में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम दस शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में चिकित्सा आनुवंशिकी में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	—वही—	(I) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (II) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक/ निदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार.	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	परिवार आयुर्विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (परिवार आयुर्विज्ञान)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामान्य आयुर्विज्ञान)	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में परिवार आयुर्विज्ञान/सामान्य आयुर्विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में परिवार आयुर्विज्ञान/सामान्य आयुर्विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

1	2	3
		वांछनीय
		(II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (परिवार आयुर्विज्ञान) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामान्य आयुर्विज्ञान)	(I) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता ।
		(II) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	विमानन आयुर्विज्ञा एरोस्पेस आयुर्विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विमानन आयुर्विज्ञान) / आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एरोस्पेस आयुर्विज्ञान)	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विमानन आयुर्विज्ञान/एरोस्पेस आयुर्विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।
		वांछनीय
		(II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर-राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(I) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विमानन आयुर्विज्ञान/एरोस्पेस आयुर्विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।
		वांछनीय
		(II) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(I) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता ।
		(II) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षक अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेंट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	जरा-चिकित्सा	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (परिवार आयुर्विज्ञान)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामान्य आयुर्विज्ञान)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (जरा-चिकित्सा)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में परिवार आयुर्विज्ञान/सामान्य आयुर्विज्ञान/जरा-चिकित्सा में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।

1	2	3
		वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कॉलेज में परिवार आयुर्विज्ञान/सामान्य आयुर्विज्ञान जरा-चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कॉलेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	स्वास्थ्य प्रशासन	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (स्वास्थ्य प्रशासन)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (अस्पताल प्रशासन)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (समुदाय स्वास्थ्य प्रशासन)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में स्वास्थ्य प्रशासन/समुदाय आयुर्विज्ञान/सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान/अस्पताल प्रशासन में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिका राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में स्वास्थ्य प्रशासन/समुदाय आयुर्विज्ञान/सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान/अस्पताल प्रशासन में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3
	अस्पताल प्रशासन	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (अस्पताल प्रशासन)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामुदायिक स्वास्थ्य प्रशासन)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (स्वास्थ्य प्रशासन)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक आयुर्विज्ञान/सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान/स्वास्थ्य प्रशासन में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अस्पताल प्रशासन/सामुदायिक आयुर्विज्ञान/सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान/स्वास्थ्य प्रशासन में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	क्रीड़ा आयुर्विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (क्रीड़ा आयुर्विज्ञान)/विज्ञान निष्णात (अस्थिरोग विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनः स्थापना)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में क्रीड़ा आयुर्विज्ञान/अस्थिरोग विज्ञान/शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनःस्थापन में रीडर सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (1) इन्डेक्स/मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में क्रीड़ा आयुर्विज्ञान/अस्थिरोग विज्ञान/शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनः स्थापन में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (1) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।

1	2	3	4
	(ग) सहायक प्रोफेसर व्याख्याता	वही	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
	(घ) अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		उष्णकटिबंध आयुर्विज्ञान	
	(क) प्रोफेसर	आयुर्विज्ञानी वाचस्पति (उष्णकटिबंध आयुर्विज्ञान) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामान्य आयुर्विज्ञान) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सूक्ष्मजीव विज्ञान तथा क्लीनिकल आयुर्विज्ञान से दो वर्ष का अनुभव	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में उष्णकटिबंध आयुर्विज्ञान/ सामान्य आयुर्विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
	(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	वही	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज से उष्णकटिबन्ध आयुर्विज्ञान/सामान्य आयुर्विज्ञान में सहायक प्रोफेसर व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस राष्ट्रीय जर्नल मे कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों
	(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	वही	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव
	(घ) अनुशिक्षक निदर्शक/रेजिडेन्ट रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3	4
		रूमेटोलॉजी	
(क)		आयुर्विज्ञान वाचस्पति (रूमेटोलॉजी) रूमेटोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष के अनुभव सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में रूमेटोलाजी में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकल/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर		वही	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में रूमेटोलाजी में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता		वही	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार		आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		स्वास्थ्य शिक्षा	
(क) प्रोफेसर		आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामाजिक एवं निरोधक आयुर्विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति समुदाय आयुर्विज्ञान) आयुर्विज्ञान वाचस्पति (स्वास्थ्य प्रशासन	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में स्वास्थ्य शिक्षा में रीडर/सह-प्रोफेसर के के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर			(i) किसी मान्यप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में स्वास्थ्य शिक्षा व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता		वही	(i) विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
(घ) अनुशिक्षक निदर्शक रेजिडेन्ट रजिस्ट्रार		आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3	4
		समुद्री आयुर्विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति शरीर क्रिया विज्ञान)/ समुद्री आयुर्विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में समुद्री आयुर्विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में समुद्री आयुर्विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/ अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		व्यावसायिक स्वास्थ्य	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (मनोविकार चिकित्सा)/ आयुर्विज्ञान वाचस्पति (शारीरिक आयुर्विज्ञान और पुनः स्थापन) विज्ञान निष्णात (अस्थिरोग विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में व्यावसायिक स्वास्थ्य में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में व्यावसायिक स्वास्थ्य में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

1	2	3	4
(घ)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		जन स्वास्थ्य	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (समुदाय आयुर्विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामाजिक और निरोधक आयुर्विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (स्वास्थ्य प्रशासन)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में जन स्वास्थ्य में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में जन स्वास्थ्य में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (i) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		विकिरणीय भौतिक विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	विद्या वाचस्पति (भौतिकी/रसायन विज्ञान/जीव-भौतिकी) सहित विज्ञान निष्णात (भौतिकी/रसायन विज्ञान/जीवभौतिकी)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकिरणीय भौतिक विज्ञान रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (i) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विकिरणीय भौतिक विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

1	2	3	4
(च)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट रजिस्ट्रार	विज्ञान–निष्णात (भौतिकी/रसायन विज्ञान/जीव भौतिकी)	
		विषाणु विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सूक्ष्मजीव विज्ञान)/आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकृति विज्ञान)/विषाणु-विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान)/विषाणु-विज्ञान में विद्या वाचस्पति सहित विज्ञान विष्णात (चिकित्सा विषाणु विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषाणु विज्ञान में रीडर/सह–प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम–से–कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	––वही––	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में विषाणु विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	––वही––	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(च)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		दन्त चिकित्सा	
(क)	प्रोफेसर	दन्त शल्य चिकित्सा निष्णात	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/दन्त कालेज में दन्त चिकित्सा में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम–से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह–प्रोफेसर	–वही–	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/दन्त कालेज में दन्त चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इंडेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।

1	2	3	4
	(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक अधिमानत: आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक सहित	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में, विषय में, रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
	(घ) अनुशिक्षक/ निदर्शक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार	—वही—	

तालिका—2

अति—उच्चत विशेषज्ञ शिक्षकों के लिए अपेक्षित विशेष शैक्षिक अर्हताएं और शिक्षण अनुसंधान अनुभव

हृद चिकित्सा विज्ञान

(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (हृद चिकित्सा विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में हृद—चिकित्सा विज्ञान में रीडर/सह—प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह—प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में हृद चिकित्सा विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में हृद—चिकित्सा विज्ञान में, रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	अनुशिक्षक/ निदर्शक/ रेजिडेट/ रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

1	2	3	4
		रोगलक्षण–रुधिर विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (रोगलक्षण–रुधिर विज्ञान) रोगलक्षण–रुधिर विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल–चिकित्सा विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकृति विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में रोग–लक्षण–रुधिर विज्ञान में रीडर/सह–प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर–राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह–प्रोफेसर	–वही–	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में रोगलक्षण–रुधिर विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। (2) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता। (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में रोग–लक्षण रुधिर विज्ञान में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/निदर्शक/रेजिडेंट/रजिस्ट्रार	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		रोगलक्षण–भेषजगुण–विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (रोगलक्षण–भेषजगुण–विज्ञान) रोगलक्षण–भेषजगुण विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (भेषजगुण विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में रोगलक्षण भेषजगुण विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तरराष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह–प्रोफेसर	–वही–	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में रोगलक्षण भेषजगुण विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता।

1	2	3	4
			(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में रोगलक्षण भेषजगुण विज्ञान में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार/ निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		अन्तःस्राविकी	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (अन्तःस्राविकी)/अन्तःस्राविकी में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल-चिकित्सा विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में अन्तःस्राविकी में रीडर/सहप्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/ सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में अन्तःस्राविकी में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता। (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अन्तःस्राविकी में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/ निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(ङ)	अनुशिक्षक/ रेजिडेंट/ रजिस्ट्रार/ निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		प्रतिरक्षा-विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (प्रतिरक्षा विज्ञान)/प्रतिरक्षा विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति विकृति विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में प्रतिरक्षा विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव।

1	2	3	4
		सूक्ष्म जीवविज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल-चिकित्सा-विज्ञान)	इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/ सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में प्रतिरक्षा विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
			वांछनीय
			(2) इन्डेक्स मेडिकस राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता ।
			(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में प्रतिरक्षा विज्ञान में रेजिडेंट/रजिस्ट्रार/ निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	अनुशिक्षक/ रेजिडन्ट/ रजिस्ट्रार/ निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		आयुर्विज्ञान जठरान्त्ररोग-विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (आयुर्विज्ञान जठरान्त्ररोग-विज्ञान) डी० एम० (जठरान्त्ररोग-विज्ञान) जठरान्त्ररोग विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल-चिकित्सा विज्ञान)	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में जठरान्त्ररोग-विज्ञान में रीडर/सह रीडर/प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।
			वांछनीय
			(2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज शिक्षण संस्थान में जठरान्त्ररोग-विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
			वांछनीय
			(2) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता ।
			(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ में जठरान्त्ररोग विज्ञान में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

1	2	3	4
(घ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		आयुर्विज्ञान आनुवंशिकी (अति-उन्नत विशेषज्ञता)	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (आयुर्विज्ञान आनुवंशिकी)/ आयुर्विज्ञान आनुवंशिकी में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल-चिकित्सा विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान) अथवा विज्ञान निष्णात (शरीर-रचना विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में आयुर्विज्ञान आनुवंशिकी (अति उन्नत विशेषज्ञता) में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में आयुर्विज्ञान आनुवंशिकी (अति उन्नत विशेषज्ञता) में सहायक प्रोफेसर/ व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में आयुर्विज्ञान आनुवंशिकी में रजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/ निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/रजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/ निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		आयुर्विज्ञान अर्बुद विद्या	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (आयुर्विज्ञान अर्बुद विद्या)/ आयुर्विज्ञान अर्बुद विद्या में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (आयुर्विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (विकिरण चिकित्सा) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल-चिकित्सा विज्ञान)	(i) किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में आयुर्विज्ञान अर्बुद विद्या में रीडर/सह प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष वर्ष का अनुभव वांछनीय (i) इन्डेक्स मेडिकस राष्ट्रीय जर्नल में कम से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/ शिक्षण संस्थान में आयुर्विज्ञान अर्बुद विद्या में सहायक प्रोफेसर-व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता।

1	2	3	4
			(ii) आयुर्विज्ञान कालेज में आयुर्विज्ञान अर्बुद विद्या में रजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक		
		नवजात विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	डी० एम० (नवजात विज्ञान)/नवजात विज्ञान में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित आयुर्विज्ञान वाचस्पति (बाल-चिकित्सा विज्ञान)		(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में नवजात विज्ञान में रीडर/सह प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।
			वांछनीय
			(ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह प्रोफेसर	—वही—		(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में नवजात विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।
			वांछनीय
			(ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—		(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता ।
			(ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में नवजात विज्ञान में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक		
		वृक्क विज्ञान	
(क) प्रोफेसर	डी० एम० (वृक्क विज्ञान)		(i) किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में वृक्क विज्ञान में रीडर सह प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव ।
			वांछनीय
			(ii) इन्डेक्स मेडिकस राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—		(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में वृक्क विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
			वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	डी० एम० (वृक्क विज्ञान)	(i) विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में वृक्क विज्ञान में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		तंत्रिका विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	डी० एम० (तंत्रिका विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में तंत्रिका विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में तंत्रिका विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हो।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यता प्राप्त विशेष ज्ञाता अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में तंत्रिका विज्ञान में रजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		हृद वाहिका एवं वक्ष शल्य विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	चिकित्सी निष्णात (एम० सी० एच०) (हृद वाहिका एवं वक्ष शल्य विज्ञान) चिकित्सी निष्णात (एम० सी० एच०) (हृद शल्य	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में हृद वाहिका एवं वक्ष शल्य विज्ञान/हृद शल्य विज्ञान/वाहिका शल्य

1	2	3	4
		विज्ञान)/चिरुगी निष्णात (एम० सी एच०) (वक्ष शल्य विज्ञान)	विज्ञान/वक्ष शल्य विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में हृद वाहिका एवं वक्ष शल्य विज्ञान/हृद शल्य विज्ञान/वाहिका शल्य विज्ञान/वक्ष शल्य विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में हृद वाहिका एवं वक्ष शल्य विज्ञान/हृद शल्य विज्ञान/वाहिका शल्य विज्ञान/वक्ष शल्य विज्ञान में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(घ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		मूत्र विज्ञान (यूरोलाजी)	
(क)	प्रोफेसर	चिरुगी निष्णात (एम० सी० एच०) (मूत्रविज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में मूत्रविज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में मूत्रविज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता। (ii) किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में मूत्रविज्ञान में रजिडन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।

1	2	3	4
(घ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		तंत्रिका शल्य विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	चिरसी निष्णात (एम० सी० एच०) (तंत्रिका शल्य विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में तंत्रिका शल्य विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में तंत्रिका शल्य-विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता। (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में तंत्रिका शल्य विज्ञान में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव।
(ङ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
		बाल-चिकित्सा शल्य विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	चिरसी निष्णात (एम० सी० एच०) (बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में बाल चिकित्सा शल्य विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम से कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता।

1	2	3	4
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में बाल-चिकित्सा शल्य विज्ञान में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक सुघट्य (प्लास्टिक) एवं पुनर्रचना शल्य विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	चिरसी निष्णात (एम० सी० एच०), (प्लास्टिक एवं पुनर्रचना शल्य विज्ञान)/ चिरसी विष्णात (एम० सी० एच०) (प्लास्टिक शल्य विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में प्लास्टिक एवं पुनर्रचना शल्य विज्ञान/प्लास्टिक शल्य विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख)	रीडर/सह-प्रोफेसर	—वही—	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में प्लास्टिक एवं पुनर्रचना शल्य विज्ञान/प्लास्टिक शल्य विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हो ।
(ग)	सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	—वही—	(i) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता । (ii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में प्लास्टिक एवं पुनर्रचना शल्य विज्ञान/प्लास्टिक शल्य विज्ञान में रजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ)	अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक शल्य जठरान्त्ररोग विज्ञान	
(क)	प्रोफेसर	चिरसी निष्णात (एम० सी० एच०), (शल्य जठरान्त्ररोग विज्ञान)/शल्य जठरान्त्ररोग विज्ञान में दो वर्ष के विशेष परिशिक्षण सहित शल्य विज्ञान निष्णात (शल्य विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में शल्य जठरान्त्ररोग विज्ञान में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेक्स मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।

1	2	3
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	–वही–	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में शल्य जठरान्त्ररोग विज्ञान में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय (ii) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचिबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	–वही–	(i) विषय में अपेक्षत मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता । (ii) किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में शल्य जठरान्त्ररोग विज्ञान में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	
	शल्य अर्बुद्ध विद्या	
(क) प्रोफेसर	चिरूगी निष्णात (एम सी० एच०) (शल्य अर्बुद विद्या) शल्य अर्बुद्ध विद्या में दो वर्ष के विशेष प्रशिक्षण सहित शल्य विज्ञान निष्णात (शल्य विज्ञान) अथवा शल्य विज्ञान निष्णात (कर्ण - नासा कंठ विज्ञान) अथवा शल्य विज्ञान निष्णात (अस्थिरोग विज्ञान) अथवा आयुर्विज्ञान वाचस्पति (प्रसूति विज्ञान एव स्त्रीरोग विज्ञान)	(i) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण संस्थान में शल्य अर्बुद्ध विद्या में रीडर/सह-प्रोफेसर के रूप में चार वर्ष का अनुभव । वांछनीय (1) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से कम चार शोध प्रकाशन और अन्तर्राष्ट्रीय-जर्नल में एक शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुआ हो ।
(ख) रीडर/सह-प्रोफेसर	--वही---	(2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज/शिक्षण सस्थान में शल्य अर्बुद्ध विद्या में सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता के रूप में दो वर्ष का अनुभव । वांछनीय (1) इन्डेकस मेडिकस/राष्ट्रीय जर्नल में कम-से-कम चार शोध प्रकाशन सूचीबद्ध हुए हों ।
(ग) सहायक प्रोफेसर/व्याख्याता	---वही---	(1) विषय में अपेक्षित मान्यताप्राप्त विशेषज्ञता अर्हता । (1) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान कालेज में अर्बुद्ध विद्या में रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक/अनुशिक्षक के रूप में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।
(घ) अनुशिक्षक/रेजिडेन्ट/रजिस्ट्रार/निदर्शक	आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक	

अनुसूची–2

निम्नलिखित अर्हताएं भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली आयुर्विज्ञान वाचस्पति/शल्य विज्ञान निष्णात के समतुल्य मानी जाएं :—

1. "फैकार्ट फ्यूर चिरूगिया" (शल्य-विज्ञानी विशेषज्ञ) (पश्चिमी जर्मनी) ।
2. "फैकार्ट फ्यूर गयनीकोलेजी" (स्त्री–रोग विशेषज्ञ) (पश्चिमी जर्मनी) ।
3. एफ० आर० ए० सी० एस० (फेलोशिप आफ दि रायल आस्ट्रेलियन कालेज आफ सर्जनस) ।
4. डिप्लोमा सर्टिफिकेट डी० एड्यूडस विशेषज्ञ डी आफ मेडिसिन इलेक्ट्रोरेडियोलाजी (आयुर्विज्ञान

इलेक्ट्रो-रेडियोलोजी के विशिष्ट अध्ययन का प्रमाण-पत्र (पेरिस फ्रांस)।

5. एफ० आर० सी० पी० (कनाडा) एफ० आर० सी० एस० (कनाडा)।

6. एम० सी० पी० ए० (मेंबरशिप ऑफ दि कालेज ऑफ पेथोलोजिस्ट आफ आस्ट्रेलिया)।

7. मनोरोग डिप्लोमा (मैक गिल विश्वविद्यालय) (मांटरियल कनाडा)।

8. मनोरोग डिप्लोमा (एडिनबारा विश्वविद्यालय)।

9. डॉ० पी० एच० ऑफ जॉन हापकिन्स, हावर्ड तथा केलिफोनिया विश्वविद्यालय (संघ राज्य अमरीका)।

10. एम० आर० सी० पैथ. (लन्दन) एफ० आर० सी० पैथ (लन्दन)।

11. फैकार्ट फ्यूर इन्नरा फ्रेवेहइटन (आंतरिक आयुर्विज्ञान विशेषज्ञ) (पश्चिमी जर्मनी)।

12. केंडिडेट आफ साईंस (विद्या वाचस्पति) आयुर्विज्ञान में प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा (हंगरी) —हंगेरियन अकादमी आफ मेडिकल साईंसेज, बुदापेस्ट।

13. फैकार्ट फ्यूर किंडरहेलकुंडे (बाल विशेषज्ञ) (पश्चिम जर्मनी)।

14. एम० ए० एम० एस०/एम० एन० ए० एम० एस०/डी० एन० बी० अर्हता, नेशनल बोर्ड आफ एगजामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा 1 जून, 1976 को या इसके बाद अपेक्षित परीक्षा लेकर व एक वर्ष के शोध अनुभव की शर्त पूरी करने के बाद बोर्ड ने प्रदान की हो।

15. एफ० एफ० आर० यू० के०—परीक्षा के बाद प्रदत्त।

16. एफ० आर० सी० एस० या एम० आर० सी० पी० रॉयल कालेज, यू० के०।

17. चिरुगि निष्णात (अस्थिरोग) (लीवरपूल)।

18. संघ राज्य अमरीका के विशेषज्ञक बोर्ड द्वारा अनुमोदित अर्हताएं।

19. सुप्रीम अटेसटेशन कमीशन (मास्को) द्वारा प्रदान विद्या वाचस्पति की डिग्री जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को अथवा उन अन्य विद्यार्थियों को जो भारत में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए मान्यता की न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हैं और उन्हें पूर्व सोवियत संघ राज्य के संस्थान में स्नातकपूर्व अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1989 तक प्रवेश दिया गया हो, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

टिप्पणी :—अन्य अर्हताओं को मूल्यांकन परिषद् को संदर्भ न किए जाने पर किया जाएगा।

ध्यानार्थ :

1. एम० आर० सी० पी०, एम० आर० सी० (पैथा), एफ० आर० सी० एस०, एफ० एफ० ए० आर० सी० एस० यू० के सभी रायल कालेज द्वारा 11/11/1978 से पहले प्रदत्त डिप्लोमा आफ मेंबरशिप तथा फेलोशिप हैं।

2. संघ राज्य अमरीका की विशेषज्ञक बोर्ड अर्हता धारक सम्बद्ध बोर्ड की पूर्ण अपेक्षाएं पूरी कराते हों।

3. उच्च विशेषज्ञता धारक (चिरुगि निष्णात, शल्य चिकित्सा निष्णात / (आयुर्विज्ञान डाक्टरेट) को आयुर्विज्ञान वाचस्पति (सामान्य आयुर्विज्ञान) अथवा शल्य चिकित्सा निष्णात (सामान्य शल्य-चिकित्सा) या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा की परिषद् द्वारा अनुसंशित कोई समतुल्य विहित अर्हता चिरुगि निष्णात (एम० सी० एच०), आयुर्विज्ञान निष्णात अर्हता, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के बाद पाने वाले उपयुक्त मामलों में इसमें ढील दी जा सकती है।

4. 31 मई, 1977 के बाद अनुशिक्षक से उच्च पदों पर शिक्षण नियुक्तियों के लिए यथा-उच्च-विशेषताओं में, हृद विज्ञान, वृक्क विज्ञान वक्ष-शल्य चिकित्सा तंत्रिका-शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, बाल शल्य चिकित्सा, मूत्रविज्ञान आदि विशेषताओं के लिए उम्मीदवार के पास स्नातकोत्तर डिग्री, सम्बद्ध विशेषज्ञता में होनी चाहिए अर्थात् आयुर्विज्ञान वाचस्पति चिरुगि निष्णात जो परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की गई है। जहां आयुर्विज्ञान वाचस्पति/चिरुगिय निष्णात की अर्हता रखने वाले शिक्षक उन पाठ्यक्रमों के न हो जो अभी शुरू नहीं हुए है, अर्हताओं तथा स्नातकोत्तर शिक्षकों के अनुभव में ढील देने के लिए ऐसे मामलों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा जाए।

आगे यह कि सम्बद्ध उच्च विशेषता स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता रखने की अपेक्षा मौजूदा शिक्षकों के मामले में लागू नहीं होगी जो शिक्षक के नियमित पदों पर नियुक्त हैं और प्रारम्भ में उनकी नियुक्ति विशेषज्ञता विशेष में आयुर्विज्ञान निष्णात शल्य चिकित्सा निष्णात के बाद दस वर्ष के प्रशिक्षण विशेष के उपरांत की गई थी।

5. 11-11-78 के बाद अर्जित ब्रिटिश अर्हताएं मान्यताप्राप्त अर्हताएं नहीं रह जाएंगी।

6. जनवरी, 1985 से आयुर्विज्ञान कालजो में आने वाले नए शिक्षकों के पास मान्यता प्राप्त भारतीय स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान अर्हता होनी चाहिए (भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त)।

डा० एम० सचदेवा
सचिव

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Mumbai-400 021, the 13th November 1998

CORRIGENDUM

The date of notice of General Meeting of shareholders of State Bank of India held at Mumbai on the 21st August, 1998 for election of shareholder Directors published on page No. 3135 in the Gazette of India (Part-III Section-4) dated 22nd August, 1998 (English version), may be read as 17th August, 1998 instead of 7th August, 1998.

Sd./- ILLEGIBLE
Managing Director
& Group Executive (NBG)

STATE BANK OF TRAVANCORE

(ASSOCIATE OF THE STATE BANK OF INDIA)

HEAD OFFICE : THIRUVANANTHAPURAM

Thiruvananthapuram, the 23rd November 1998

NOTICE is hereby given that the tenure of the Office of Shri Jacob Cherian and Dr. N. Mohanakumaran, Directors of the Bank u/s 25 (1) (d) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, will expire on 28th January, 1999. It has, therefore, become necessary to fill up the said vacancies for a period of three years. Accordingly, nominations are invited from shareholders who are not disqualified u/s. 27 *ibid*. Such nominations, complete in all respects, must reach the Bank at its Head Office, Poojapura, Thiruvananthapuram - 695 012, on or before 13th January 1999. Nominations received after this date will not be valid.

It is further notified that for the above purpose, a General Meeting of the shareholders of the State Bank of Travancore will be held at Tagore Centenary Hall, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram-695 014 on Saturday the 30th January 1999 at 11 A.M. (IST).

VEPA KAMESAM
Managing Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 30th October 1998

No. U-16/53/1/94-Med. II (Kerala).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me *vide* Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. A. K. Sudha Rathnam to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms from the date she assumes charge for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres Kozhikode & Kannur Distt. in Kerala for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificate to them when correctness of the original certificate is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, the 8th October 1998

No. U-16/53/97-Med. II(Guj).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me *vide* Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. R. B. Vyas to function as Medical Authority for Vapi and Ankleshwar centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date the resumes charge or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner(NWZ) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

No. U-16/53/97. Med.II(Guj.).—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I (General) Regulation, 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G), dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. S. K. Majumdar to function as Medical Authority for Asarwa centre for the period of one year at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 22-9-98 —21-9-99 till a full time medical Referee joins, whichever is earlier, and areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (North West Zone) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(CENTRAL OFFICE)

New Delhi-110066, the 9th November 1998

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2555.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name Address of the Establishments	Code No.	Effective date of Exemption	C. P. F. C. File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	M/s. D. K. District Co-op. Milk Produces Union P. O. Kolashekar, Mangalore-575005.	KN/4137	01-08-92 to 31-07-95 01-08-95 to 31-07-98	6/44/DLI/97
02.	M/s. Bilz Subbiah Tools (P) Ltd., No. 5-B/6-A, Industrial Area, Doddaballapur Mangalore-561203.	KN/18595	01-08-95 to 31-07-98	6/48/DLI/97
03.	M/s. Infantary Compressors & Machineries (P) Ltd., A-4, Jyoti Complex, 134/I, Infantary Marg, Mangalore-560001,	KN/18016	01-05-95 to 31-04-98	6/47/DLI/97
04.	M/s. Tajima Design Punching Centre (P) Ltd., 482, II Main, II Stage, Indiranagar, Bangalore-560038.	KN/16611	01-03-95 to 28-02-98	6/49/DLI/97
05.	M/s. Sindhu Cargo Services (P) Ltd., 2nd Floor, SBI Building, Airport Exit Road, Bangalore-560017.	KN/18357	01-08-95 to 31-07-98	6/50/DLI/97
06.	M/s. A. M. P. India (P) Ltd. Maruthi Industrial Estate Hoody Rajapalya White Field Main Road Mahadevapura, Post, Bangalore-560048.	KN/18158	01-06-95 to 31-05-98	6/51/DLI/97
07.	M/s. Macro Agencies, No. 482 II Floor, II Main Opp. Indranagar Shopping Complex, Indra Nagar, II Stage, Bangalore-560038.	KN/16501	01-03-95 to 28-02-98	6/52/DLI/97
08.	M/s. Kirloskar Multimedia Ltd. 65, Rly. Parllal Road, Kumara Park, West, Bangalore-560020.	KN/16252	01-03-95 to 28-02-98	6/4/DLI/98
09.	M/s. Wear Wel Unit-2, Bangalore Co-op. Industrial Estate, Okalipuram, Bangalore-560021.	KN/16011	01-04-95 to 31-03-98	6/3/DL/98
10.	M/s. Yashaswi Cashews Hiriadka-576113, Udupi Tq. D. K.	KN/12184	01-04-94 to 31-03-97	6/2/DLI/98
11.	M/s. M. S. Ramaiah Institute of Technology, Gokul Extension Post, Extension Post, Bangalore-560054.	KN/8146	01-10-94 to 30-09-97	6/1/DL/98
12.	M/s. Kigantha Mudrana Ltd., Yeddadi, Industrial Estate, Mangalore-575008.	KN/12799	01-04-97 to 31-03-2000	6/38/DLI/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. . 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/2571.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. S. M. P. S. Consultants Arohitects & Engineers Bholanath Sarabhai Building, Khamasa Gate, Ahmedabad-1.	GJ/16952	01-06-89 to 31-05-92 & 01-06-92 to 31-05-95 & 01-06-95 to 31-05-98	4/21/97/DLI
2.	M/s. Vardhman Fabrics Pvt. Ltd. Plot No. 2411, G. I. D. C. Sachin, Distt. Surat.	GJ/17986	01-06-95 to 31-05-98	4/35/97/DLI
3.	M/s. Obic Fabrics Ltd., 850/3, GIDC, Industrial Estate, Makarpura, Baroda-10.	GJ/20826	01-08-86 to 31-07-99	4/98/97/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to such of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefit admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1/1959 DLI/Exemp./89/Pt. I/2578.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said esablishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C. File No.
01.	M/s. Indo Balzers Coating Ltd., EL-22' J Block, MIDC Bhosari, Pune-411026.	MH/PN 32076	01-11-97 to 31-10-2000	9/17/DLI/MH/98
02.	M/s. Suari Engg. Services—27, Sancole Industrial Estate, Zuarinagar, Goa-403726.	Goa/10077	01-03-97 to 29-02-2000	9/11/DLI/98
03.	M/s. Agro-Chem Industrial Services, D-4, 4th Floor, Commerce Centre, Vasco-da-gama, Goa-403802.	Goa/10078	01-03-97 to 29-02-2000	9/15/DLI/98
04.	M/s. Perfect Projects & Engg. Co. D-4 4th Floor, Commerce Centre, Vasco-da-Gama, Goa-403802.	Goa/10338	01-03-97 to 29-02-2000	9/16/DLI/98
05.	M/s. Western Hatcheries Ltd., Post Box No. 77, Plot No. D-1 and D-2, Chincholi MIDC, Solapur-413006.	MH/PN 31608	01-01-97 to 21-12-99	9/14/DLI/98

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to such of the said establish ment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/2887.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

No therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
1.	M/s. The Calcutta Medical Research Institute. 712, Diamond Harbour Road, Calcutta-700027. (alongwith its Branches)	WB/15000	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. dated 19-10-95	12-4-97	13-4-97 to 12-4-2000	2/345/DLI/WB
2.	M/s. A.B.C. Computers Pvt. Ltd. 43/3, Hazra Road, Calcutta-700019 (alongwith its Branch)	WB/26183	Do.	30-11-96	1-12-96 to 30-11-99	2/4239/DLI/WB

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2593.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi from the operation of the said Scheme for a period 3 years.

SCHEDULE -I

Sl. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective Date of Exemption	C. P. F. C. File No.
1.	M/s. Nirula Cooler House Ltd. L-Block Connaught Place New Delhi-110001.	DL/3637	01-10-90 to 30-09-93 & 01-10-93 to 30-09-96 01-10-96 to 30-09-99	3/20/90/DLI
2.	M/s. Impression International A-234 Okhla Industrial Area, Phse-I New Delhi-20.	DL/5525	01-03-89 to 29-02-92 & 01-03-92 to 28-02-95 & 01-03-95 to 28-02-98	3/2/98/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer relation to each of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Schemo are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer falls to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2599.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishments	Code No.	Effective date of Exemption	C. P. F. C's. File No.
1	2	3	4	5
01.	M/s. ASCO Engineering Co. 18 New Colony, Model Basti New Delhi-110005.	DL/6907	01-09-88 31-08-91 01-09-91 31-08-94 01-09-94 31-08-97	3/7/97/DLI
02.	M/s. Macawbe Beekay Ltd. 1-8, Green Park Extension, New Delhi-110016.	DL/8824	01-08-89 31-07-92 01-08-92 31-07-95 01-8-95 31-07-98	3/1/98/DLI

1	2	3	4	5
03.	M/s. Housing and Urban Dovelopment Corn. Hudco House, Lodhi Road, New Delhi-3.	DL/6349	01-05-87 30-04-90 01-05-90 30-04-93 01-05-93 30-04-96 01-05-96 30-04-99	3/14/97/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the Nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

The 10th November 1998

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1,2606.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Bharathi Soap Works . . . . . 67/B-1, Amaravathi Road, Goramtla-522035. Guntur Distt. Andhra Pradesh.	AP/13922	1-8-95 to 31-7-98	1/20/98 E.D.
2.	M/s. Spectrum Power Generation Ltd. . . . . Door No. 6-28 to 6-29 Behind L.B. Nagar, Muncipal Office Saroornagar, Hyderabad-500035.	A.P./26259	1-3-97 to 29-2-2000	1/21/98/E.D.
3.	M/s. Sibar Auto Parts Ltd. . . . . Industrial Estate, Ranigunta Road. Tirupati-517506 (AP).	HY/18114	1-4-96 to 31-3-99	1/12/98/E.D.
4.	M/s. Servet Feeds & Minerals Pvt. Ltd. . . D-142, Phase-III, Industriaal Area, Jeedimetla. Hyderabad-55.	AP/HY/18953	1-5-97 to 30-4-2000	1/13/98/E.D.
5.	M/s. Ashok Lyland (Ductron Castidgs Unit) . . . B-15, I.D.A Vppal Hyderabad-500039.	AP/4164	1-1-89 to 31-12-91 1-1-92 to 31-12-94 & 1-1-95 to 31-12-97 & 1-1-98 to 31-12 2000	1/18/98/AP
6	M/s The Nellore Distt. Co-operative Central Bank Ltd. . H. O. Nellore-524001.	AP/2343	1-7-92 to 30-6-95 & 1-7-95 to 30-6-98 & 1-7-98 to 30-6-2001	1/17/96/E.D.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/2616.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that he employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. and Date Govt. Notification vide which Exemption was Grannted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Nitte Education Trust (R) 7th Floor Ram Bhawan. Complex. Kodialbail Mangalore-575003	KN/12229	2/1959/DLI/Pt. I dated 18-9-97	31-12-96	1-1-97 to 31-12-99	6/15/DLI-96
2.	M/s. Mandovi Motors Balmata Road. Mangalore-575001	KN/3750	Do. dated 4-3-97	31-12-96	1-1-97 to 31-12-99	6/32/DLI/96
3.	M/s. Arvind Motors Balmalta Road. Mangalore-575001.	KN/2147	Do. dated 4-3-97	31-1-97	1-2-97 to 31-1-2000	6/33/DLI-96
4.	M/s. Supreme Motors Balmatta Road. Mangalore-575001	KN/6607	2/1959/DLI/Pt. I/	31-1-97	1-2-97 to 31-1-2000	6/34/DLI/96
5.	M/s. Indo German Plantation Machinery Co-Put Ltd.. 22-A Ist Phase. Peenya Indl. Area. Bangalore-58.	KN/2438	Do. dated 27-1-97	28-2-95	1-3-95 to 28-2-98	2/4573/92/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commiseloner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefit admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

Regional Provident Fund Commissioner
S. BHATTACHARJEE

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4427.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneus Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt such of the said mentioned establishment in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Sud Hotel & Allied Enterprises (P) Ltd., My the Estate, Shimla-171003.	PN/10994	1-10-89 to 30-9-92 & 1-10-92 to 30-9-95& 1-10-95 to 30-9-98	12/24/96/DLI
2.	M/s. Himachal Tanneries Ltd., Bharatgarh Road, Nagar, Dist. Solan (H.P.).	PN/11705	1-2-92 to 31-1-95 & 1-2-95 to 31-1-98.	12/6/98/DLI
3.	M/s. St. Francis Convent School, G.T. Road, Kartarpur.	PN/17144	1-10-96 to 30-9-99	12/40/98/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of hte employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lalpse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/4427.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Orissa from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. The Samaj & Units of the Samaj, The Satyabadi Press, The Gopabandhu Type Foundary Gopabandhu Bhawan, Cuttack-753001.	OR/17 OR/17-A OR/15 & OR/120.	1-3-92 to 28-2-95 & 1-3-95 to 28-2-98	11/1/OR/98
2.	M/s. Suvocham Industries Pvt. Ltd., B-19, Jagatpura Industrial Estate (New) Jagatpur, Cuttack-754021.	OR/4431	1-3-96 to 28-2-99	11/2/OR/98

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission ot returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amou payable under the Scheme be less than the amount that wou'd be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to be lapsed, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 11th November 1998

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2638.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Lief Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule -I against their names.

SCHEDULE-I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C. File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. the Charotar Iron Factory Anand Sojitra Road Anand, Kheda Gujarat.	GJ/159	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I dated 18-1-94	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/4504/92/DLI
2.	M/s. Kalyan Industrial Corporation, Kalapana Bhumi Estate Dudheshwar Road, Ahmedabad-380004	GJ/4503	Do. dated 26-5-94	31-3-93	1-4-93 to 31-3-96 1-4-96 to 31-3-99	2/5437/94/DLI
3.	M/s. Valsad Jilla Sahakari Bank Ltd. Azad Chowk Valsad (Gujarat) 40 Branches.	GJ/4662	Do. dated 18-1-94	31-3-96	1-4-96 to 31-3-99	2/4679/92/DLI
4.	M/s. Reliance Engg. Sales Organisation, 16, Maharashtra Society Ellisbridge, Ahmedabad-380006	GJ/7265	Do. dated 3-4-93	28-2-94	1-3-94 to 28-2-97 1-3-97 to 29-2-2000	2/3322/90/DLI
5.	M/s. The Gujarat State Handicrafts Development Corporation Ltd. Block 17, 3rd Floor, Udyog Bhavan Sector-II, Gandhi Nagar-382011 10 Branches	GJ/7283	Do. dated 6-4-93	28-2-95	1-3-95 to 28-2-98	2/2506/90/DLI
6.	M/s. Searle (India) Ltd. 3102/A, G.I.D.C. Ankleshwar 393002.	GJ/9444	Do. dated 2-12-93	31-12-92	1-4-93 to 31-12-95 1-1-96 to 31-12-98	2/4311/92/DLI
7.	M/s. Everest Chemicals and Minerals Pvt. Ltd. Plot No. 203, G.I.D.C., Vapi-396195	GJ/9449	Do. dated 18-1-94	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/2757/90/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./Pt. I/2649.—WHEREAS THE employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment from the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Shri Rajkot Lodhika Sahkari Kharid Vechan Sangh Ltd., Sahkar Triveni, Karan pura, behind Bus stand, Rajkot.	GJ/5673f	2/1959/DLI/89/Exm/ Pt-I dated 6-4-93	30-9-94	1-10-94 to 30-9-97	2/4506/92/DLI
2.	M/s. Erhardt Leimer (India) Ltd. Saurna y No. 320, Odhav Road, Ahemdabad-382415.	GJ/11087	2/1959/DLI/89/Exm/ Pt-I dated 19-1-94	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/2770/90/DLI
3.	M/s. Banaskantha Dist. Co-Op. Milk Producers Union Ltd., Banas Dairy P.B. No. 20, Palanpur-385001, Gujarat.	GJ/3560	2/1959/DLI/89/Exm/ Pt-I dated 1-1-94	15-8-94	16-8-94 to 15-8-97 16-8-97 to 15-8-2000	2/1725/88/DLI
4.	M/s. Varuna Alloys Pvt. Ltd., A/1/12, G.I.D.C. Industrial Estate, Phase-2, Vatva, Ahmedabad-382445.	GJ/5767-A	S-35014/38/88/SS. II dated 27-6-88	26-6-91	27-6-91 to 26-6-94 27-6-94 to 26-6-97	2/1756/88/DLI
5.	M/s. Rangsarjan Chemicals, C.I.B., 4 8, G.I.D.C. Estate P.B. No. 32, Ankleshwar-2, Distt. Bharuch.	GJ/9847	2/1959/DLI/89/Exm/ Pt-I	28-2-95	1-3-95 to 28-2-98	2/3584/9/DLI
6.	M/s. Shreerang Chemicals, 124/125, G.I.D.C., Odhav, Ahmedabad-382415	GJ/10806	2/1959/DLI/89/Exm/ Pt-I dated 17-1-94	29-2-96	1-3-96 to 28-2-99	2/5329/93/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/2659.—WHEREAS THE employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment from the condition specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which Exemption was granted Extended	Date of expiry	Period for exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. The Indian Coffee Workers Co-Op. Society Ltd., 2-U.B. Jawahar Lal Road, Delhi-110007	DL-570	2/1959/DLI/Exem/89/Pt-I dated 17-10-91	31-1-94	1-2-94 to 31-1-97	2/2087/89/DLI
2.	M/s. India International Centre, 40, Mupller Marg, New Delhi-110003	DL-1520	2/1959/DLI/Exem/89/Pt-I dated 29-1-96	31-8-97	1-9-97 to 31-8-2000	2/3421/90/DLI
3.	M/s. Rama Vision Ltd., 303-305, Ratan Jyoti, 18, Rajendra Place, New Delhi-110002	DL-12129	2/1959/DLI/Exem/89/Pt-I dated 4-2-97	30-11-93	1-12-93 to 30-11-96	2/2/96/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 13th November 1998

No. 2/1959/DLI/Exempt/89/Pt. I/2666.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise fo the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown agoinst the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. and date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended	Date of Expiry	Period for Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Swich Line Beacham Consowers Brands Ltd., Dowlaiswarm East Godawari Distt. Andhra Pradesh	AP/ 4322	2/1959/EDLI/Exem/ S. 35014/61182 dated 2-4-85	3-8-88	4-8-88 to 3-8-91 4-8-91 to 3-8-94 4-8-94 to 3-8-97	2/655/82
2.	M/s. S.R.K.R. Engineering College, Bhimavaram 534202, West Godavari Distt. Andhra Pradesh	AP/UP 17803	Do dated 30-9-91	30-11-93	1-12-93 to 30-11-96	2/3803/91
3.	M/s Sree Mullapudi Venkataraya Memorial Polytechnic P.B. No. 13, Timmarajapuram, Tanuku-534211	AP/UP 8497	Do. dated 23-1-92	28-2-93	1-3-93 to 28-2-96 1-3-96 to 28 2-99	3906
4.	M/s. Prakasa Engineering Works, Enikepndu, Vijayawada, Krishna Distt.-521108	AP/GT 6386	Do. dated 3-5-93	31-3-94	1-4-94 to 31-3-97 & 1-4-97 to 31-3-2000	2/3198
5.	M/s. SIFCO Sanath Nagar, Hyderabad-18.	AP 3052	Do. dated 13-8-97	28-2-97	1-3-97 to 29-2-2000	213882
6.	M/s. Krishna Engineering Works, Enikepadu Vijayawada-521108	AP 3857	2/1959/EDLI/Exem/ S. 35014/61182 dated 2-2-94	31-1-94	1-2-94 to 31-1-97 1-2-97 to 31-1-2000	2/3191
7.	M/s. Anjenega, Roller Flour Mills Ltd., H-2 & H-3, Agranaram Industrial Estate, Vizianagram-531211	AP 16320	Do. dated 23-1-92	31-3-92	1-4-92 31-3-95 & 1-4-95 to 31-3-98	2/3904
8.	M/s Associated Class Industries Division of H S.W & Industries Ltd. P.B.No. 1930, Sanatnagar Hyderabad—500018.	AP 4133	Do. dated 26-12-97	30-11-96	1-12-96 to 30-11-99	2/4207
9.	M/s. Industrial Traning Corporation, B-7, Industrial Estate, Nellore-524004.	AP 13050	Do. dated 27-8-97	31-1-97	1-2-97 31-1-2000	1/73/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, involved maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

The 13th November 1998

No. 2/1959/DLI/Exempt./89/Pt. I/2679.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Basant Products (India) 26/257-B, Sulan Ganj, Agra-282004.	UP/14224	1-3-90 to 28-2-93 and 1-3-93 to 29-2-96	15(13)DLI/UP/96
2.	M/s. R. B. Motors. Pvt. Ltd., Pratabpura, Agra-282061.	UP/3666	1-3-90 to 28-2-93 & 1-3-93 to 29-2-96	15(4)DLI/UP/96
3.	M/s. Darshan Oils Ltd., Udi Singh Jain Road, Aligarh-202001.	UP/14068	1-1-89 to 31-12-91 & 1-1-91 to 31-12-93 & 1-1-93 to 31-12-95	15(12)DLI/UP/96
4.	M/s. U. P. State Textile Corpn. Ltd., Spinning Mills, Jaspur-244712 Distt. Nainital.	UP/13727	1-8-89 to 31-7-92 & 1-8-92 to 31-7-95	15(11)DLI/UP/96
5.	M/s. Expert Founders & Engineers, C-29, Foundary Nagar, Agra-282006.	UP/11760	1-2-89 to 31-1-92 & 1-2-92 to 31-1-95 & 1-2-95 to 31-1-98.	15(3)DLI/UP/96
6.	M/s. Sethi Flour Mills Pvt. Ltd., Chargawan, Gorakhpur (U.P.).	UP/3734	1-11-89 to 31-10-92 & 1-11-92 to 31-10-95	15(19)/DLI/UP/96
7.	M/s. Nainital-Almora Kashetriya Gramin Bank. Waldrof Compound, Nainital-263001. alongwith its branches.	UP/13537	1-5-90 to 30-4-93 & 1-5-93 to 30-4-96.	15(32)/DLI/UP/97
8.	M/s. Teletronix Ltd., Industrial Estate, Bhimtal 2631-36, Distt., Nainital. alongwith its branches.	UP/6996	1-1-93 to 31-12-95 & 1-1-96 to 31-12-98.	15(31)DLI/UP/97
9.	M/s. Zebra Zippers (P) Ltd., (V.S. Nagar) Ramnagar Road, Kashipur Nanital (U.P.).	UP/16073	1-12-93 to 30-11-96.	15(30)DLI/UP/97

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the sailent features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of as establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that should be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to be lapsed, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/2692.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or pay ment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, M. P. from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Scientific Mes. Tachnic Pvt. Ltd., Unit-2. B-14, industrial Estate, Indore-452003.	MP/6541	1-1-97 to 31-12-99	8/1/98/EDLI
2.	M/s. G. D. Chemicals, Birla Gram Nagda (M.P.).	MP/8447	1-11-95 to 31-10-98	8/2/98
3.	M/s. Shiva Food Products, Bai Sahib Ki Pared, Luxami Ganj, Gwalior (M.P.).	MP/9555	1-4-97 to 31-3-2000	8/4/98
4.	M/s. Rairu Distilleries, Rairu Farm, Agra Bombay Road, Gwalior (M.P.).	MP/7204	1-3-97 to 29-2-2000	8/5/98

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefit available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to be lapsed, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exempt./89/Pt. I/2700.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	Effective Date of Exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Ferikalp Processors., Godawn No. 131/E/F/. B/h. Hina Tiles Old Bunder Road., Bhavnagar-I—364001.	GJ/2724	1-7-94 to 30-6-97	4/88/97/DLI
2.	M/s. Malvi Mechanical Works. Ruwapari Road., Bhavnagar-I—364001.	GJ/4586	1-5-94 to 30-4-97	4/15/97/DLI
3.	M/s. Shri Heat Treat Industrial Corporation. Old junction Road Surendra Nagar-363001. (Gujrat).	GJ/6450	1-2-90 to 31-1-93 & 1-2-93 to 31-1-96 & 1-2-96 to 31-1-99.	4/97/97/DLI
4.	M/s. Tina Reeds Mfg. Co., L-538/5. G.I.D.C. Estate. Odhav. Ahmedabad.	GJ/15878	1-6-93 to 31-5-96 & 1-6-96 to 31-5-99.	4/23/97/DLI
5.	M/s. Ajay Fiber Glass Pvt. Ltd.. Anik Industrial Estate., Opp. Indekuip Engg. Ltd., P. O. Kuber Nagar. Sardar Nagar. Ahmedabad-382340.	GJ/16060	1-9-89 to 31-8-92 & 1-9-92 to 31-8-95 & 1-9-95 to 31-8-98	4/2/98/DLI
6.	M/s. Gujrat Ambuja Cements Ltd.. P. O. Ambuj Nagar. Tal Kodinar-362760. Dist, Amreli. Alongwith 7 branches.	GJ/17581	1-2-92 to 31-1-95 1-2-95 to 31-1-98.	4/87/97/DLI
7.	M/s. Neo Structo Construction Pvt. Ltd., Corporate Office 301. Mahaan Terrace. Adajan Road, Surat-395009.	GJ/18826	1-2-96 to 31-1-99.	4/42/97/DLI
8.	M/s. Que Pharma 131/2. G.I.D.C.Industrial Area., Wadhwan city-362030.	GJ/25387	1-8-95 to 31-7-98	4/3/98/DLI
9.	M/s. The Southern Gujrat Chambers of Commerces & Industry Samruddhi, 4th Floor Makka Pool, Nanpura, Surat-395001.	GJ/23417	1-6-95 to 31-5-98	4/32/97/DLI
10.	M/s. Gujrat Communications & Electronics Ltd., A-42. G.I.D.C. Electronic Estate. Gandhi Nagar-382015.	GJ/6938-A	1-1-91 to 31-12-93 1-1-94 to 31-12-96 1-1-97 to 31-12-99.	4/94/97/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to such of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees that the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death on an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. C. PANDEY
Regional Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 30th October 1998

No. UT/DBDM/R-144/SPD-71-I/9899.—The amendments to the provisions of the Monthly Income Plan 1994(III), Monthly Income Plan 1995, Monthly Income Plan 1995(II) and Monthly Income Plan 1995(III) made under section 19(1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) in relation to the until scheme Monthly Income Scheme 1994(III), Monthly Income Scheme 1995, Monthly Income Scheme 1995(II) and Monthly Income Scheme 1955(III) respectively made under section 21 of the said Act and approved by the Executive Committee in the meeting held on 24th July, 1998 are published herebelow.

A G JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

Annexure

(1) Ammendments to the provisions of Monthly Income Scheme 1994(III).

Sub-clause (ii) of Clause VII on 'Investment Objective' is amended as :

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments.

(2) Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme 1995.

Sub-clause (ii) of Clause VII on 'Investment Objective' is amended as :

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments.

(3) Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme 1995(II).

Under the heading "Details of the Monthly Income Scheme 1995(II) [MIS'95(II)] continued" (page 9 of printed offer document).

Sub-clause (ii) of Clause VII on 'Investment Objectives and Policies' is amended as :

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment in money market instruments could be increased consistent with SEBI Guidelines on the same.

(4) Amendments to the provisions of Monthly Income Scheme 1995 (III)

Under the heading "Details of the Monthly Income Scheme 1995 (III) [MIS'95 (III)] continued" (on page 11 of the printed offer document).

Sub-clause (ii) of Clause VII on 'Investment Objective' is Policies' is amended as :

(ii) Upto 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments.

Notwithstanding the aforesaid the proportion of investment in money market instrument's could be increased consistent with SEBI Guidelines on the same.

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR, PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT

Ambala, the 22nd October 1998

Notwithstanding the aforesaid the proportion of investment delegated to Syed Shahid Ali, former Acting Secretary, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt, by the former Administrator (Shri Feroz Khan, IRS), with effect from 20-7-1998 vide office order No. Wakf/42(2)/88-Vol. dated 24-7-1998, I, A. K. Thatai, IRS, Administrator, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt. In exercise of the powers conferred under-section 27 of the Wakf Act, 1995, hereby delegate the following powers to Shri M. K. Khan, Chief Executive Officer, Punjab Wakf Board with effect from 3rd October, 1998 :—

1. Subject to Punjab Wakf Regulations, 1966 framed under-section 68 of the Wakf Act, 1954 read with section 110 and 112(2) of the Wakf Act, 1995 to carry on the day to day administration of the office of the Wakf Board and to exercise the following powers :—

(a) Approve tour programme of empolyees of the Board.

(b) Grant leave of all kinds to employees of the Board.

(c) Sanction of annual increments to employees of the Board.

(d) Fix salaries of employees in the sanctioned pay scales.

(e) Sanction purchase of stationery, library books religious books upto Rs. 5,000/- at one time subject to availability of funds in the Budget.

(f) Sanction purchase of furnitures and fixtures upto Rs. 10,000/- at one time subject to availability of funds in the Budget.

(g) Sanction upto Rs. 5,000/- at a time on cost of Petrol/Diesel, servicing of vehicles subject to availability of funds in the budget.

(h) Sanction upto Rs. 5,000/- on printing subject to availability of funds in the budget.

(i) Sanction upto Rs. 10,000/- in case of maintenance of Wakf properties under Board's management subject to availability of funds in the budget.

(j) Sanction upto Rs. 10,000/- on advertisements, Urs, Muslim Festivals and office functions subject to availability of funds in the Budget.

(k) Renew monthly pensions to widows and destitutes and recurring monthly grants to Masjids and Maktabs and Vocational aided Institutions.

(l) Sanction and payment of Annual Contribution payable to Board under Section 72 of the Wakf Act, 1995 without limit.

(m) Accept quotations and tenders in respect of the total estimated value or articles/work dues not exceeding Rs. 10,000/- and supply work order.

(n) Issue supply work order in case of purchase of articles and valuation of work upto Rs. 10,000/-

(o) Sanction refund of lease money and security of Building Contractor upto Rs. 10,000/- in each case.

(p) Sanction of charity upto Rs. 1,000/- in genuine cases subject to availability of funds in the Budget.

(q) Sanction expenditure within the approved budget upto Rs. 1,000/- in case of non-recurring expenditure subject to availability of funds in the budget.

(r) Sanction refunds other than lease money, earnest money and security of Building Contractors upto Rs. 5,000/- in each case;

2 To sanction prescribed court and counsel fee upto Rs. 5,000/- in each case.

3. To sanction legal expenditure upto Rs. 3,000/- in each case.

A. K. THATAI, IRS
Administrator.

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

The November, 1998

No. MCI-12(2)/98-Med./ —In exercise of the powers conferred by the section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. **Short title and commencement** :—(1) These regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998".

(2) They shall come into force on the date of ther publication in the Official Gazette.

2. **Objectives** –Appointment of medical teachers, with minimum qualification and experience in various departments of medical colleges and institutions imparting graduate and post-graduate medical education, is a necessary requirement to maintain a standard of teaching.

3. **Minimum qualification for appointment as a teacher** :—Minimum qualification for appointment as a teacher in various departments of a medical college or institution imparting graduate and post-graduate education shall be as specified in the schedules I and II annexed with these regulations.

SCHEDULE I

Every appointing authority before making an appointment to a teaching post in a medical college or institution shall observe the following norms :—

1. All Medical teachers must possess a basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956, (102 of 1956), They must also be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register.

2. In the departments of Anatomy, Physiology, Biochemistry ' Pharmacology and Microbiology, non-medical teachers may be appointed to the extent of 30% of the total number of posts in the department. A non-medical approved medical M. Sc. qualification shall be a sufficient qualification for appointment as Lecturer in the subject concerned but for promotion to higher teaching post a candidate must possess the Ph. D. degree in the Subject. The Heads of these departments must possess recognised basic university medical degree qualification or equivalent qualification. However, in the department of Bio-chemistry, non-medical teachers may be appointed to the extent of 50% of the total number of posts in the department. In case of the paucity of teachers in non-clinical departments relaxation upto the Head of the Department may be given by the appointing authority to the non-medical persons if suitable medical teacher in the particular non-clinical speciality is not available for the said appointment. However, such relaxations will be made only with the prior approval of the Medical Council of India. A non-medical person cannot be appointed as Director or Principal or Dean or Medical Superintendent. In the departments of Community Medicine and Pharmacology, Lecturers in Statistics and Pharmacological Chemistry shall possess M. Sc. qualification in that particular subject from a recognised University.

3. Medical teachers in all Medical Colleges except the Tutors, Residents, Registrars and Demonstrators must possess the requisite recognised postgraduate Medical qualification in their respective subjects.

4. The appointing authority may consider the holders of equivalent post-graduate qualifications, which may be approved by the Medical Council of India from time to time to have the requisite recognised qualification in the subject concerned.

5. The Medical Council of India shall determine equivalent qualification referred to in these regulations.

6. The teachers in a medical college or institution having a total of eight years' teaching experience out of which atleast five years teaching experience as Lecturer or Asstt. Professor gained after obtaining post-graduate degree shall be recognised as post-graduate teachers in broad specialities In the case of super-specialities only those teachers who possess eight years' teaching experience out of which atleast five years' teaching experience as Lecturer or Asstt. Prof. gained after obtaining the higher speciality degree shall be recognised as post-graduate teachers:

Provided that in the case of super speciality courses which are being newly instituted, matter regarding relaxation of qualification and experience of post-graduate teachers may be taken up by the appointing authority with the Medical Council of India.

7. In cases where candidates with requisite experience are not available, a reference may be made by the appointing authority to the Medical Council of India for consideration on merits.

8. The names of the teaching posts, academic qualifications and the teaching or research experience required for each teaching post are given in Table I in respect of graduate and post-graduate/higher speciality courses and in Table II in respect of super speciality courses.

9. The requirement of publication of four research papers for the post of Associate Professor and eight research papers for the post of Professor may be a desirable qualiafication.

TABLE 1

REQUIREMENTS OF ACADEMIC QUALIFICATIONS, TEACHING AND RESEARCH EXPERIENCE

Post	Academic qualifications	Teaching/Research Experience
1	2	3
Principal/Dean/Director of Medical Institution	Should possess the recognised post graduate medical qualification and other academic qualification from a recognised institution with a minimum of ten years' teaching experience as Professor Associate Professor/ Reader in a medicalcollege/Instt.out ofwhich atleast five years should be as Professor in a department. Preference for these appointments may be given to the Heads of the Departments.	
Director/Medical Superintendent of the affiliated teaching hospital	Should possess a recognised post graduate medical Qualification from a recognised Institution with 10 yrs. administrative experience.	
	ANATOMY	
(A) Professor	M.S. (Anatomy)/M.D. (Anatomy)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Anatomy)/ M.Sc. (Med. Anatomy) with Ph. D. (Med. Anatomy)/ M.Sc. (Med. Anatomy) with D.Sc. (Med. Anatomy)	(i) As Reader/Associate Professor in Anatomy for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus / national journal and one research publication in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Anatomy for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national Journals
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar / Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor. Demonstrator. Resident or Registrar.	M.B. B.S/ M.Sc. (Medical Anatomy) for non -medical persons.	
	PHYSIOLOGY	
(A) Professor	M .D. (Physiology) / M.B.B.S. with M.Sc. (Physiology)/ M.Sc. (Med. Physiology) with Ph. D. (Med. Physiology)/ M.Sc. (Med. Physiology) with D.Sc. (Med. Physiology)	(i) As Reader /Associate Professor in Physiology for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national Journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor / Lecturer in Physiology for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.

1	2	3
		(ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor, Demonstrator, Resident or Registrar.	M.B.B.S. M.Sc. (Medical Physiology) for non-medical persons.	
	BIOCHEMISTRY	
(A) Professor	M.D. (Biochemistry)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Med. Biochem.)/ M.Sc. (Med. Biochemistry) with Ph. D. (Med. Biochemistry)/ M.Sc. (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry)	(i) As Reader/Associate Professor in Biochemistry for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four research publications indexed in Index Medicus/national Journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Biochemistry for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S./ M.Sc. (Medical Biochemistry) for non-medical persons.	
	BIO-PHYSICS	
(A) Professor	M.D. (Bio-Physics)/ M.Sc. (Bio-Physics or Medical Biochemistry) with Ph.D. (Bio-Physics)/ M.D. (Physiology) or M.D. (Biochemistry) with one year training in Bio-Physics.	(i) As Reader/Associate Professor in Bio-Physics for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader, Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor Lecturer in Bio-Physics five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.

1	2	3
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S. M.Sc. (Bio-Physics or Medical Bio-chemistry) for non-medical person.	
	PHARMACOLOGY	
(A) Professor	M.D. (Pharmacology)/ M.B. B.S. with Ph.D (Med. Pharmacology)/ M.Sc. (Med. Pharmacology) with Ph.D. (Med. Pharmacology)/ M.Sc. (Med. Pharmacology) with D.Sc. (Med. Pharmacology).	(i) As Reader/Associate Professor in Pharmacology for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Pharmacology for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Lecturer in Pharmaceutical Chemistry.	M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry)	(i) Requisite reconised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(E) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S. M.Sc. (Medical Pharmacology) for non-medical persons.	
	Pathology	
(A) Professor	M.D. (Pathology)/ Ph.D (pathology)/ D. Sc. (pathology)	(i) As Reader/Associate Professor in Pathology for four years in a recognised medical college Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journa l and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Pathology for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national. journals.
(C) Assistant Professor/Leoturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recoynised medical college as Resident Registrar/Domonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Dembnstrator/Resident/ Resident/Pathologist/Registrar/ Clinical Pathologist.	M.B.B.S.	

1	2	3
	MICROBIOLOGY	
(A) Professor	M.D. (Bacteriology)/ M.D. (Microbiology)/ M.B.B.S. with M.Sc. (Med.) Bacteriology/M.Sc. (Med.) Microbiology)/ Ph.D. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Bact.) with Ph.D. (Med. Bacteriology)/ M.Sc. (Med. Bacteriology) with D.Sc. (Med. Bacteriology)/ M. Sc. (Med. Microbiology) with Ph. D. (Med. Microbiology)/ M. Sc. (Med. Microbiology) with D. Sc. (Med. Microbiology)	(i) As Reader/Associate Professor in Microbiology for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/National journal and one research publication in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/ Lecturer in Microbiology for five years in a recognised medical college . Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demontrator/Resident/ Registrar/Clinical Pathologist.	M.B.B.S./M. Sc. (Med. Microbiology) for non-medical persons.	
	COMMUNITY MEDICINE	
(A) Professor	M.D. (Social & Preventive Medicine)/ MD (Community Med.)/	(i) As Reader/Associate Professor in Community Medicine/Social and Preventive Medicine for four years in a recognised Medical College. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International jorunal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Community Medicine/Social & Preventive Medicine for five years in a recognised Medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.

1	2	3
(D) Lecturer in Statistics	M.Sc. (Statistics)	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(E) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar Epidemologist Health Officer.	M.B.B.S.	
	FORENSIC MEDICINE	
(A) Professor	M.D. (Forensic Med.)	(i) As Reader Associate Professor in Forensic Medicine for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national Journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Forensic Medicine for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar/Casualty/ Medical Officer/Resident Pathologist.	M.B.B.S.	
	GENERAL MEDICINE	
(A) Professor	M.D. (Medicine)/ M.D. (General Medicine)	(i) As Reader/Associate Professor in General Medicine/Medicine for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications in exed inIndex Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associat/Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in General Medicine/Medicine for five years in a recognised Medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indeued in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.

1	2	3
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
	GENERAL SURGERY	
(A) Professor	M.S. (Surgery)/ M.S. (General Surgery)	(i) As Reader/Associate Professor in General Surgery/Surgery for four years in a recognised medical college. Desirable: (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International/Journal:.
(B) Reader/Associate/Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in General/Surgery/Surgery for five years in a recognised Medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar /Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
	OBSTRETRICS AND GYANEOLOGY	
(A) Professor	M.D. (Obst. & Gynae.)/ M.S. (Obst. & Gynae.)/	(i) As Reader/Associate Professor in Obstetrics & Gynaecology for four year in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimumof fours Rcesearch publicotihn indexed in Index Medical national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	-do-	(i) As Assistaant Professor/Lecturer in Obstetrics & Gynaecology for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus national journals.
(C) Assistant/Professor Lecturer	-do-	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstratot/Tutor.
(D) Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	M.B.B.S.	

1	2	3
	PAEDIATRICS	
(A) Professor	M.D. (Paediatrics)	(i) As Reader/Associate Professor in Paediatrics for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research pubcations idexed in Index Medicus/ national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	-do-	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Paediatrics for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum four Research publications indexed in Index Medicus/ national journals.
(C) Assistant Professor.	-do-	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Dem - nstrator/Tutor.
(D) Tutor/ Demonstrator/ Resident Registrar		
	TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY MEDICINE PULMONERY MEDICINE	
(A) Professor	M.D. (Tuberculosis)/ M.D. (TB & Respiratory Dise.)/ M.D. (Medicine) with T. D. D, D.T.D., or D.T.C.D. M.D. (TB & Chest Diseases	(i) As Reader/Associate Professor in Tuberculosis and Respiratory Diseases for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publi cations index in Index Medicus/ national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	-do-	(i) As Assis ant Professor/Lecturer in Tuberculosis & Respiratory Diseases for five years in a recognised medic l college. Desirable (ii) Minimum of four Researas publications indexed in index Medicus national journals.
(C) Assistant Professor/ Lecturer	-do-	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in recognised medical college as Restdent/Registrar Dem nstrator/Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	

1		2	3
		PSYCHIATRY	
(A)	Professor	M.D. (Psychiatry)/ M.D. (Psychological Med.)/ M.D. in Medicine with Diploma in Psychological Med.	(i) As Reader/Associate Professor in Psychiatry for four years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journal and one research Publicatio in International journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer Psychiatry for five years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicks/national Journals.
(C	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demon strator/ Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
		DERMATOLOGY, VENEZEOLOGY AND LEPROSY	
(A)	Professor	M.D. (Derm. & Ven. / M.D. (Derm. Ven. & Leprosy / M.D. (Dermatology/ M.D. (Derm. including Ven.)/ M.D. (Derm. including Ven./Lepr.) M.D. (Medicine) with D.V.P. D.D.	(i) As Reader/Associate Professsor in Dermatology and Venereo Logy/leprosy for four years in a recognised Medical college. **Desirable** Minimum of four Research publications (ii) indexed in journal/national journal and one research publication in Internationonal) journal.
(B)	Reader/Associate/Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Dermatology and Venereology/Leprosy for five years in a recognised medical college **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resisdent/Registrar.	M.B.B.S.	

Note : For all teaching appointments in Psychiatry to be made after 31st May 1997 the candidates must possess the M.D. degree in Psychiatry and the holders of D.P.M. qualifications (irrespective of the duration of the course will not be eligible for such appointments thereafter.

Provided that the requirements of possessing M.D. degree in Psychiatry shall not be applicable for higher appointments on the case of existing teachers holding regular teaching post whose appointment was initially made on the basis of holding D.P.M. qualification of two years duration.

Foot Note : Where the department of Venereology and Dermatology are bifurcated the following qualification will be required in the bifurcated departments of Venereology and Dermatology.

1	2	3
	For Venereology	For Dermatology
	M.D. (Venereology) M.D. (Dermatology & Venereology) M.D. in Medicine with diploma in Venereology	M.D. (Dermatology) M.D. (Dermatology & Venereology) M.D. (Medicine) with Diploma in Dermatology.
	ORTHOPAEDICS	
(A) Professor	M.S. (Orthopaedics)	(i) As Reader/Associate Professor in Orthopaedics for four years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International journal
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Orthopaedics for five years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar /Demonstrator / Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar	M.B.B.S.	
	ANAESTHESIOLOGY	
(A) Professor	M.D. (Anaesthesiology)/ M.S. (Anaesthesiology)	(i) As Reader/Associate Professor in Anaesthesiology for four years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Anaesthesiology for five years in a recognised medical college. **Desirable** (i) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical collegeas Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar	M.B.B.S.	

1	2	3
	RADIO-DIAGNOSIS	
(A) Professor	M.D. (Radio-Diagnosis)/ M.D. (Radiology)/ M.S. (Radiology)	(i) As Reader/Associate Professor in Radio-Diagnosis/Radiology for four years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Radio-Diagnosis/Radiology for five years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
	RADIO-THERAPY	
(A) Professor	M.D. (Radio-Therapy)/ M.D. (Radiology)/ M.S. (Radiology)	(i) As Reader/Associate Professor in Radio-Therapy/Radiology for four years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Radio-Therapy/Radiology for five years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/Registrar	M.B.B.S.	

Note : The combined department of Radiology wherever it exists should be bifurcated into Radio-Diagnosis and Radio-Therapy within five years from the date of publications of these regulations.

1		2	3
		OTO-RHINO LARYNGOLOGY	
(A)	Professor	M.S. (Oto-Rhino-Laryngology)	(i) As Reader/Associate Professor in Oto-Rhino/Laryngology for four years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Oto-Rhino:Laryngology for five years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
		OPHTHALMOLOGY	
(A)	Professor	M.S. (Ophthalmology)/ M.D. (Ophthalmology)	(i) As Reader/Associate Professor in Ophthalmology for four years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Ophthalmology for five years in a recognised medical college. **Desirable** (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgradudate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar	M.B.B.S.	
		NUCLEAR MEDICINE	
(A)	Professor	M.D. (Nuclear Medicine)/M.D. (Radio-Therapy) with two years experience in Nuclear Medicine in a recognised centre/M.D. (Medicine) with DRM OR DNM/M.D. (Radio-Diagnosis) with two years experience in Nuclear Medicine in a recognised centre/ M.D. (Bio-Physics) or its equivalent qualification in Bio-Physics with DRM or DNM OR DNB in Nuclear Medicine with two years experience in Nuclear Medicine in a recognised centre.	As Reader in Nuclear Medicine for four years in a recognised medical college.
(B)	Reader	Do.	As Lecturer in Nuclear Medicine for five years in a recognised medical college.
(C)	Lecturer	Do.	Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.
(D)	Tutor/Registrar/Resident	M.B.B.S.	

1	2	3
	NUTRITION	
(A) Professor	M.D. in Biochemistry/Physiology/Pathology/ Medicine/Social and Preventive Medicine/ Com. Medicine or Paediatrics with M.Sc. in applied Nutrition or special training for a period of one year.	(i) As Reader/Associate Professor in Nutrition for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Nutrition for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident Registrar.	M.B.B.S.	
	PHYSICAL MEDICINE AND REHABILATION	
(A) Professor	M.D. (P.M.R.)/M.D. (Medicine) with Diploma in PMR/M.S. (General Surgery)/ M.S. (Orthopaedics) with two years special training in the Speciality of Physical Medicine and Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India.	(i) As Reader/Associate Professor in Physical Medicine and Rehabilitation for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Physical Med." and "Rehabilitation for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimumo of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant/Professor Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college/ as Resident/Registrar/Demonstrator Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar.	M.B.B.S.	
	HUMAN METABOLISM	
(A) Professor	M.D. (Endocrinology) or M.D. (Medicine)/ M.D. (Paed.) with two years special training in Endocrinology.	(i) As Reader/Associate Professor in Endocrinology, Human Metabolism for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in international Journal.

1	2	3
(B) Reader/Associate/Professor	M.D. (Endoerinology) or M.D. (Medicine)/M.D. (Paed.) with two years special training in Endocrinology	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Endocrinology/Human Metabolism for five years in a recognise medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications Indexed in Index Medicus/national journals
(C) Assistant/Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident Registrar.	M.B.B.S.	
	IMMUNO HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION	
(A) Professor	D.M. (Immunology) OR M.D. (Immuno-Haematology & Blood Transfusion/M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with 2 years teaching experience or special training in the deptt. of Immuno-Haematology & Blood Transfusion.	(i) As Reader/Associate Professor in Immuno-Haematology & Blood Transfusion or Immunology or Pathology/ Bacteriology-Haematology for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate/Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Immuno-Haematology & Blood Transfusion or Immunology or Pathology Bacteriology-Haem. for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four research publications indexed in Index Medicus national journals.
(C) Assistant/Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar /Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar.	M.B.B.S.	
	MEDICAL GENETICS	
(A) Professor	D.M. (Medical Genetics)/ M.D. (Med. Genetics M.D. (General Medicine) or M.D. (Paed). or M.D. (Obst. & Gynae.) with two years special training in Medical Genetics.	(i) As Reader/Associate Professor in Medical Genetics for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Medical Genetics for five years in recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Indexed Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.

1	2	3
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar.	M.B.B.S.	
	FAMILY MEDICINE	
(A) Professor	M.D. (Family Medicine)/ M.D. (General Medicine)	(i) As Reader/Associate Professor in Family Medicine/General Medicine for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Family Medicine/General Medicine for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar.	M.B.B.S.	
	AVIATION MEDICINE/AEROSPACE MEDICINE	
(A) Professor	M.D. (Aviation Medicine)/ M.D. (Aerospace Medicine)	(i) As Reader/Associate Professor in Aviation Medicine/Aerospace Medicine for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Aviation Medicine/Aerospace Med. for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publication. indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar.	M.B.B.S.	
	GERIATRICS	
(A) Professor	M.D. (Family Medicine)/ M.D. (General Medicine)/ M.D. (Geriatrics)	(i) As Reader/Associate Professor in Family Medicine/General Medicine/ Geriatrics for four years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.

1	2	3
(B) Reader/Associate Professor	M.D. (Family Medicine)/ M.D. (General Medicine)/ M.D. (Geriatrics)	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Family Medicine/General Medicine/ Geriatrics for five years in a recognised medical college. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicul/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar.	M.B.B.S.	
	HEALTH ADMINISTRATION	
(a) Professor	M.D. (Health Administration)/ M.D. (Hospital Administration)/ M.D. (Community Health Administration)	(i) As Reader/Associate Professor in Health Administration/Community Medicine/Social and Preventive Medicine/Hospital Administration for four years in a recognised Medical College. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(b) Reader/Associate Professor	-Do-	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Health Administration/Community Medicine/SPM/Hospital Administration for five years in a reconised Medical College. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(c) Assistant Professor/: Lecturer	-Do-	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(d) Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar/	M.B.B.S.	
	HOSPITAL ADMINISTRATION	
(e) Professor	M.D. (Hospital Administration)/ M.D. (Community Health Admn.)/ M.D. (Health Administration)	(i) As Reader/Associate Professor in Hospital Administration/Community Medicine/SPM/Health Administration for four years in a recognised Medical College. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(b) Reader/Associate Professor	-Do-	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Hospital Administration/Community Medicine/SPM/Health Administration for five years in a recognised Medical College.

1	2	3
		Desirable
		(ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(c) Assistant Professor/ Lecturer	M.D. (Hospital Administration)/ M.D. (Community Health Admn.)/ M.D. (Health Administration)	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.
		(ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(d) Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	M.B.B.S.	
	SPORTS MEDICINE	
(A) Professor	M.D. (Sports Medicine)/ M.S. (Orthopaedics)/ M.D. (Physical Medicine & Rehabilitation)/M.D. (Physiology) with 2 years experience in sports medicine.	(i) As Reader/Associate Professor in Sports Medicine/Orthopaedics/ Physical Medicine and Rehabilitation for four years in a recognised Medical College.
		Desirable
		(ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national Journal and one research publication in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Sports Medicine/Orthopaedics/Physical Medicine and Rehab. for five years in a recognised Medical College.
		Desirable
		(ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national Journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject.
		(ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/Resident/ Registrar	MBBS	
	TROPICAL MEDICINE	
(A) Professor	M. D. (Tropital Medicine)/ M.D. (General Medicine)/ M. D. (Micorbiology) plus two years experience in clinical medicine.	(i) As Reader/Associate/Professor in Tropical Medicine/General Medicine for four years in a recognisied Medical college.
		Desirable
		(ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B) Reader/Associate Profesor	Do.	(i) As Assistan/Professor/Lecturer in Tropical Medicine/General /Medicine for five years in a recognised Medical college.
		Desirable
		(ii) Minimum of four Research publications Indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisited recognised postgraduates pualification in the subject.
		(ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/Demonstrator/ Tutor.

1	2	3	4
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
		RHEUMATOLOGY	
(A)	Professor	M. D. (Rheumatology) M. D. (Medicine) with 2 years experience in Rheumatology/Immunology.	(i) As Reader/Assiociates Professor in Rheumatology for four years in a recognised Medical College. Disirable (i) Minimum of four Research publications Indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in] Rheumatology for five years in a recognised Medical College. Desirable (i) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant/Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar	M.B.B.S.	
		HEALTH EDUCATION	
(A)	Professor	M.D. (Social & Prev. Med.)/ M. D. (Community Medicine)/ M. D. (Health Administration)	(i) As Reader/Associate Professor in Health Education for four years in a recognised Medical College. Disirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national journal one research publication in International Journal
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant /Professor/Lecturer in Health Education for five years in recognised Medical College. Desirable (i) Minimum of four Research publications in indexed national journal/national journals.
(C)	Asstt. Professor/ Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident /Registrar/Demanstrator/Tutor.
(D)	Tutor/ Demonstrator/ Resident/ Registrar	M.B.B.S.	

1		2	3
		MARINE MEDICINE	
(A)	Professor	M.D. (Physiology)/ M.D. (Medicine) with two years special training in Marine Medicine	(i) As Reader/ Associate Professor in Marine Medicine or four years in recognised Medical College. Desirable (i) Minimum four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publication in international Journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer Marine Medicine for five years in a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	—
		OCCUPATIONAL HEALTH	
(A)	Professor	M.D. (Psychiatry)/ M.D. (Phy. Med. & Rehab.)/ M.S. (Orthopaedics)	(i) As Reader/Associate Professor in Occupational Health for four years a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus /national journal and one research publication in International journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Occupation al Health for five years in a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	—
		PUBLIC HEALTH	
(A)	Professor	M.D. (Community Med.)/ M.D. (Social & Prev. Med.)/ M.D. (Health Admn.)	(i) As Reader/Associate Professor in Public Health for four years in a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national journal and one research publication in International journal.

1		2	3
(B)	Reader/Associate Professor	M.D. Community Med.)/ M.D. (Social & Prew. Med.)/ M.D. (Health Admn.)	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Public Health for five years in a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/ Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
		RADIOLOGICAL PHYSICS	
(A)	Professor	M. Sc. (Physics/Chem.)/ Biophysics with Ph. D. (Physics/Chem./ Biophysics)	(i) As Reader/Associate Professor in Radiological Physics for four years in a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indxed in Index Medicus/national journal and one research publication in International Journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Radiological Physics for five years in a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C)	Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three Years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
(D)	Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.Sc. (Phy./Chem/Biophysics).	
(A)	Professor	M. D. (Microbiology) M. D. (Pathology)/ M. D. (Medicine) with two years special training in Virology M. Sc. (Medical Virology with Ph. D. in Virology.	(i) As Reader/Associate Professor in virology for four years in a recognised Medical College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national journal and one research publication in International Journal.
(B)	Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Virology for five years in a recognised Medical College **Desirable** (iii) Minimum of four Research publications indexed in Indiex Medicus/ national journals
(C)	Assistant Professor/ Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.

1	2	3
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	M.B.B.S.	
	DENTISTRY	
(A) Professor	M.D.S.	(i) As Reader/Associate Professor in Dentistry for four years in a recognised Medical College/Dental College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one research publicaion in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Dentistry for five years in a recognised Medical College/Dental College. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	B.D.S. Preferably with M.B.B.S.	(i) Requisite recognised postgraduate qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the subject in a recognised medical college as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Demonstrator/ Resident/Registrar.	Do.	

TABLE-2

REQUIREMENT OF SPECIAL ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHING/RESEARCH EXPERIENCE FOR SUPERSPECIALITY TEACHERS

(A) Professor	D. M. (Cardiology)	(i) As reader/Associate Professor in Cardiology four years in a recognised medical college/teaching institution **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications ndexed in Index Medicus/national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor / Lecturer in Cardiology for two years in a recognised medical college/teaching institution. **Desirable** (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Cardiology in a recognised Medical College as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	

1	2	3
	CLINICAL HAEMATOLOGY	
(A) Professor	D.M. (Clinical Haematology) M. D. (Medicine) or M. D. (Paediatrics) or M. D. (Pathology) with 2 years special training Clinical Haematology.	(i) As reader / Assodciate / Professor in Clinical Haematology for four years in a recognised medical college/ teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Researdh publications indexed in Index Medicus/ national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Clinical Haematology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Clinical Haematology in a recognised Med. College as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	CLINICAL PHARMACOLOGY	
(A) Professor	D.M. (Clinical Pharmacology) M.D. (Pharmacology) with 2 years special training in Clinical Pharmacology	(i) As Reader/Associate Professor in Clinical Pharmacology for four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Clinical Pharmacology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national Journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Clinical Pharmacology in a recognised Medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	

1	2	3
	ENDOCRINOLOGY	
(A) Professor	D.M. (Endocrinology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with two years special training in Endocrinology.	(i) As Reader/Associate Professor in in Endocrinology for four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/ National journal and one in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Endocrinology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Endocrinology in a recognised medical college as Resident/Registrar' Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator	M.B.B.S.	
(A) Professor	D.M. (Immunology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Pathology) or M.D. (Microbiology) or M.D. (Paediatrics) with two years special training in Immunology.	(i) As Reader/Associate Professor in Immunology or four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one in International Journa l.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Immunology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minmum of four Research publications indexed in Index Medicus /National journals
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised Specialsitaion qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in the immuna ogy in a recognised medical college as Resident /Registar Demonstrator Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar / Demonstrator.'	M.B.B.S.	

1	2	3
	MEDICAL GASTROENTEROLOGY	
(A) Professor	D.M. (Medical Gastroenterology)/ D.M. (Gastroenterology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology.	(i) As Reader/Associate Professor in Gastroenterology for four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate/Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Gastroenteroloy for two years in a recognised Medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publication indexed in Index Medicus/national journal.
(C) Assistant Professor Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Gastroenterology in a recognised Med. College as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	MEDICAL GENETICS (SUPER-SPECIALITY)	
(A) Professor	D.M. (Medical Genetics)/ M.D. (Paediatrics) or M.D. (Medicine) or M.S. (Anatomy) with two years special/training in Medical Genetcs	(i) As Reader/Associate Professor in Medical/Genetics (Super-Speciality) for four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.f	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Medical Genetics (Super-speciality) for two years in a recognised medical college/teaching institution. esirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Medical Genetics in a recognised Med. College as Resident/ Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	MEDICAL ONCOLOGY	
(A) Professor	D.M. (Medical Oncology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Radio-therapy) or M.D. (Paediatrics) with 2 years special training in Medical Oncology.	(i) As Reader/ Associate Professor in Medical Oncology for four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable. (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one in International journal.
(B) Reader/Associate/Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Medical Oncology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Medical Oncology in a recognised Med. College as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.

1	2	3
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	NEONATOLOGY	
(A) Professor	D. M. (Neonatology)/ M.D. (Paediatrics) with two years special training in Neonatology.	(i) As Reader/Associate Professor in Neonatology four for years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Neonatology for two years in a recognised medical college/teachng institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Neonatology in a recognised Med. College as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S	
	NEPHROLOGY	
(A) Professor	D.M. (Nephrology)	(i) As Reader/Associate Professor in Nephrology for four years in a recognised medical college/teaching institutions. Desirable (i) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national Journal and one in international journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Nephrology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publication indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Nephrology in a recognised Med. College as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	NEUROLOGY	
(A) Professor	D.M. (Neourology)	(i) As Reade-/Associate Professor in Neurology for four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journal and one in International Journal.

1	2	3
(B) Reader/Associate Professor	Dr. M. (Neurology)	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Neurology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Rekuisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Neurology in a recognised Medicol College as Resident/Registrar/Demonstrator/ Tutor
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	CARDIO VASCULAR & THORACIC SURGERY	
(A Professor	M. Ch. (Cardio Vascular & Thoracic Surgery)/ M. Ch. (Cardiac Surgery)/ M. Ch. (Vascular Surgery)/ M. Ch. (Thoracic Surgery)	(i) As Reader/Associate Professor in Cardio Vascular & Thoracic Surgery/ Cardiac Surgery/Vascular Surgery/ thoracic surgery for four years in a recognised Medical College/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus ational journal and one in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Cardio Vascular & Thoracic Surgery/ Cardiac Surgery/Vascular Surgery/ Thoracic surgery for two years in a recognised Medical College/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals
(C) Assistant Professor/Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject (ii) Three years teaching experience in Cardio Vascular & Thoracic Surgery/Cardiac Surgery/Vascular Surg./Thoracic Surgery in a recognised Med. College as Resident/Registrar/Demonstrator Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	UROLOGY	
(A) Professor	M. Ch. (Urology)	(i) As Reader/Associate Professor in Urology for four years in a recognised medical college/teaching institution Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in in Index Medicus/national journal and one in international journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistadt Professor/Lecturer in Urology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/ national journals.
(C) Assistant Professor/ Lecturer	-Do.-	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Urology in a recognised Medical Co g as Resident/Registrar/ Demonstrator Tutor

1	2	3
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	NEURO-SURGERY	
(A) Professor	M. Ch. (Neuro-Surgery)	(i) As Reader/Associate Professor in Neuro-Surgery for four year in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journal and one in International journal.
(B) Reader/Associate Professor	-Do.-	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Neuro-Surgery for two years in a recognised medical college/ teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/Lecturer	-Do.-	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Neuro-Surgery in a recognised Med. college as Resident/ Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident/Registrar Demonstrator	M.B.B.S.	
	PAEDIATRIC SURGERY	
(A) Professor	M.Ch. (Paediatric Surgery)	(i) As Reader/Associate Professor in Paediatric Surgery for four years in a recognised medical college/ teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indeexd in Index Medicus/national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	-Do.-	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Paediatric Surgery for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/ Lecturer	-Do.-	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Paediatric Surgery in a recognised Medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SURGERY	
(A) Professor	M. Ch. (Plastic& Reconstructive Surgery) /M. Ch. (Plastic Surgery)	(i) As Reader/Associate Professor in Plastic & Reconstructive Surgery/Plastic Surgery for four years in recognised medical college institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index Medicus/national journa and one in International journal.

1	2	3
(B) Reader/Associate Professor	M. Ch. (Plastic & Reconstructive Sugery)/M Ch. (Plastic Surgery)	(i) As Assistant Profesor/Lecturer in Plastic & Reconstructive Surgury/Plastic Surgery for two years in a recognisead medical college institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journal.
(C) Assistant/Prhfessor/ Lecturer	Do.	(i) Requisite recognised specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Plastic & Reconsjruotive surgery in a recognised Med. college as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	SURGICAL GASTROENTEROLOGY	
(A) Professor	M. Ch. (Surgical Gastroenterology)/ M. S. (Surgery) with 2 years special training in surgical Gastroenterology.	(i) As Reader/Associate Professor in Surgical Gastroenterology for four years in a recognised medical college/ teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research publications indexed in Index medicus/ national journal and one in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Surgical Gastroenterology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journals.
(C) Assistant Professor/ Lecturer.	Do.	(i) Requisite recsgnized specialisation qualification in the subject. (ii) Three years teaching experience in Surgical Gastroenterology in a recognised Med. College as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	
	SURGICAL ONCOLOGY	
(A) Professor	M. Ch. (Surgical oncology)/M.S. (surgery) or M. S. (E. N.T) or M.S. (or opaedics) or M D. (abst. Gynac. with 2 years special training in surgical oncology	(i) As Reader/Associate Professor in surgical oncology for four years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicus/national journal and ane in International Journal.
(B) Reader/Associate Professor	Do.	(i) As Assistant Professor/Lecturer in Surgical oncology for two years in a recognised medical college/teaching institution. Desirable (ii) Minimum of four Research Publications indexed in Index Medicusnational journals.
(C) Assistant Professor Lecturer	Do.	(i) Requisite recognaised specialisation qualificarion in the subject. (ii) Three years teaching experience in Surgical Oncalogy in a recognised Medical College as Resident /Registrar/Demonsrtrator/Tutor
(D) Tutor/Resident Registrar/ Demonstrator.	M.B.B.S.	

SCHEDULE-II

The following qualifications be treated at par with M.D./M.S. awarded by Indian Universities:—

1. 'Facharzt Fuer Chirugia'(Specialist Surgeon) (West Germany).

2. 'Facharzt Fuer Gynaekologie' (Specialist of Gynaecology). (West Germany).

3. F.R.A.C.S. (Fellowship of the Royal Australian College of Surgeons).

4. 'Diploma in Certificate D Etudes Specialist D of Medicine Electro-Radiology (Certificate of Special Studies of Medical Electro-Radiology) (Paris, France).

5. F.R.C.P. (Canada) F R C.S. (Canada).

6. M.C.P.A. (Membership of the College of Pathologists of Australia)

7. Diploma in Psychiatr (Mc Gill University) (Montreal, Canada).

8. Diploma in Psychiatry (Edinburgh University).

9. Dr. P.H. of John Hopkins, Harward and California Universities (USA).

10. M.R.C. Path (Lond.) F.R.C. Path (London).

11. Facharzt Fuer Innera Frankheiten, (Specialist Internal Medicine) (West Germany).

12. Candidate of Science (Doctor of Philosophy) in Medicine Branch Plastic Surgery (Hungary) awarded by Hungarian Academy of Medical Sciences, Budapest.

13. Facharzt Fuer Kinderheikunde (Children Specialist) (West Germany).

14. M. A. M. S./M. N. A. M. S/D. N.B. qualifications when granted on or after Ist June, 1976 granted by National Board of Examinations, New Delhi after due examination and fulfilling one year research experience.

15. FFR of U. K. by examination.

16. F. R. C. S. or M. R. C.P. of Royal Colleges of U.K.

17. M.Ch. (Orthopaedics (Liverpool).

18. Approved qualifications from speciality Boards of U. S. A.

19. Ph.D. awarded by Supreme Attestation Commission (Moscow) granted to students sponsored by Medical Council of India or to other students fulfilling the minimum eligibility criteria for admission to undergraduate courses in India and admitted in the institution of erstwhile U.S.S.R., recognised by the Medical Council of India, for undergraduate or postgraduate courses upto 1989.

Note : Other qualifications will be evaluated by the Council as and when reference is received.

N. B.

1. M. .R. C. P., M. R. C. (Path.), F. R.C.S., F. F. A. R. C. S refer to the Diploma of Membership and Fellowship awarded by all the Royal Colleges of U.K., prior to 11/11/1978.

2. Holders of Speciality Boards of U.S.A. qualifications should complete the entire requirements of the Board concerned.

3. In the case of qualiofications in higher specialities (M. Ch. M.S./ D.M.), the holder should have also odtained M. D. (Gen.Medicine) or M.S. (Gen. Surgery) or an equivalent qualification as prescribed by the Council in its recommendations on Postgraduate Medical Education. This requirement may be relaxed in suitable cases in cases of Candidates who have obtained M.Ch./D.M. after a direct 5 years course., which are recognised by the Council.

4. After 31st May, 1977, for all teaching appointments to posts higher than tutor in higher specialities i. e. Cardiology, Neurology, Thoracic-Surgery Neuro-Srgery, Plastic-Surgery., Paediatric-Surgery, Urology, the Candidates must passess postgraduate degree qualifications in the speciality concerned i.e., D. M./M. Ch. approved by the Council from time to time. Where teachers with D.M./M. Ch. qualifications are not available in respect of the courses which have not yet been started, matter regarding relaxation of quallfication and experience of Postgraduate teachers may be taken up with the Medical Council of India.

Provided that the requirements of possessing a postgraduate degree qualification in the concerned higher speciality shall not be applicable for higher appointments in the case of existing teachers holding regular teaching posts whose appointment was initially made on the basis of two years special training in the speciality after the requisite M.D./M.S.

5. All British qualifications obtained after 11/11/78 will cease to be recognised qualifications.

6. From January, 1985 all fresh entrants as teachers in medical college should have the requisite recognised Indian Postgraduate Medical qualifications (recognise d by the Medical Council of India).

(Dr. M. SACHDEVA),
Secretary.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1998